वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

एन.आर.आर.डी.ए.

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय–सूची

क्र. सं.	मद	पृष्ठ सं.
1	भूमिका	1
2	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) के उद्देश्य	3
3	संगठनात्मक व्यवस्थाएं	6
4	प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना	10
5	प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया	23
6	पीएमजीएसवाई कार्यों की मोबाईल अनुप्रयोग पर आधारित गुणवत्ता मॉनीटरिंग व निरीक्षण रिपोर्टिंग का विकास	25
7	मॉनीटरिंग	26
8	अनुसंधान एवं विकास	29
9	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	32
10	कार्यशालाएं एवं सम्मेलन	47
11	बजट	49
12	लेखा तथा लेखा परीक्षा	49
13.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	49
14.	परिशिष्ट	51–122

1. भूमिका

1.1 सड़कें देश के मुख्य मार्ग हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि के लिए अवसरंचनात्मक विकास उपलब्ध कराते हैं। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, अतः देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क एक प्रमुख घटक है। यह कृषि आय को बढ़ाने, रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने तथा शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध करा संभाव्य संपर्क को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास प्रदान कराता है।

1.2 तद्नुसार ग्रामीण सड़क संपर्कता धारणीय गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एक मूल अवयव है। वर्षों से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में बसावटों को संपर्कित करने के लिए प्रयासरत हैं।

हालांकि ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है, भारत सरकार ने ग्रामीण सड़क संपर्कता के महत्व को देखते हुए 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), एक पूर्णतया वित्तपोषित तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 500 अथवा अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। पहाड़ी राज्यों (उत्तर–पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड), मरूस्थल क्षेत्रों (जैसाकि मरूस्थल विकास कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है), जनजाति (अनुसूची–V) क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों, जैसाकि गृह कार्य मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है के संबंध में 250 अथवा अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना की अनुसार) वाली बसावटों को संपर्क उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

1.3 वर्ष 2000 में लगभग 40% बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध नहीं थी। पीएमजीएसवाई आरम्भ करने के बाद जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) तैयार करने तथा कोरनेटवर्क की पहचान करने का कार्य विधिवत् किया गया था। कोरनेटवर्क सभी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी संपर्कता सुनिश्चित कराता है। इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1.59

लाख बसावटों (राज्यों की अन्य योजनाओं के अंतर्गत कवर की गई बसावटों को छोड़कर) को 3.93 लाख किलोमीटर की आकलित सड़क लम्बाई के साथ नई संपर्कता उपलब्ध कराने तथा 3.73 लाख लम्बाई वाली विद्यमान सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सामान्य मैदानी क्षेत्रों में 500 तथा इससे अधिक की जनसंख्या, अनुसूची–V (82 आईएपी को छोड़कर) तथा बीएडीपी, पहाड़ी राज्यों, मरूस्थल क्षेत्रों में 250 तथा अधिक की जनसंख्या वाली शेष बची बसावटों व अरूणाचल प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त जिलों में 250 + वाली अतिरिक्त संपंर्कविहीन बसावटों को शामिल करने हेतु हाल ही में मंत्रीमंडल द्वारा किये गये अनुमोदन के बाद 2001 की जनगणना के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल पात्र संपर्कविहीन बसावटों की संख्या 1,78,184 हो जाती है।

1.4 भारत सरकार ने ग्रामीण आधारिक संरचना को आवर्धित करने के विचार से एक समयबद्ध कार्य–योजना – ''भारत निर्माण'' की घोषणा की है। इसके छः घटकों में ग्रामीण संपर्कता को भी एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में शामिल किया गया है।

भारत निर्माण के अंतर्गत 63,940 बसावटों को 1.89 लाख कि .मी. सड़कों के साथ नई संपर्कता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त 1.94 लाख कि.मी. विद्यमान थ्रू रूटों का उन्नयन भी किया जाएगा।

भारत निर्माण के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया था कि 1000 या इससे अधिक अबादी वाली (पहाड़ी तथा जनजाति व रेतीले क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाली) बसावटों को वर्ष 2012 तक बारहमासी संपर्कता प्रदान की जाए। आकलित किया गया है कि भारत निर्माण के अंतर्गत **63,940** बसावटों को **1.89** लाख कि.मी. सड़कों के साथ नई संपर्कता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त 1.94 लाख कि.मी. विद्यमान थ्रू रूटों का उन्नयन भी किया जाएगा।

1.5 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए) 14 जनवरी, 2002 को 1860 के सोसाइटी अधिनियम–XXI के अंतर्गत गठित की गई थी। एनआरआरडीए का मूल उद्देश्य कार्यक्रम कार्यान्वयन को तकनीकी विशिष्टियों पर परामर्श देने, परियोजना का मूल्यांकन करने, गुणवत्ता मॉनीटर करने और मॉनीटर प्रणालियों के माध्यम से कार्यक्रम को सहायता प्रदान कराना है। मंत्रालय को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से

एजेंसी इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के हेतु तकनीकी और प्रबन्ध सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक सुसम्बद्ध व्यावसायिक तथा बहु–अनुशासनिक निकाय है ।

2. एनआरआरडीए के उद्देश्य

एनआरआरडीए का मूल उद्देश्य कार्यक्रम कार्यान्वयन को तकनीकी विशिष्टियों पर परामर्श देने, परियोजना का मूल्यांकन करने, गुणवत्ता मॉनीटर करने और मॉनीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई धन राशि के संबंध में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले व्यय, मॉनीटर करन` की व्यवस्था करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना मूलतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी :–

1. विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श करना तथा ग्रामीण सड़कों के उपयुक्त डिज़ाइन और विशिष्टताओं पर पहुँचना और तत्पश्चात पुलों और नालों सहित ग्रामीण सड़कों के डिज़ाइन और विशिष्टताएं निर्धारित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करना।

2. प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करना।

3. ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थानों को, उनको सौंपे जाने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए प्रमुख तकनीकी एजेंसियों और राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त करना।

4. राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को जिला सड़क योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संवीक्षा करना या संवीक्षा करने की व्यवस्था करना।

6. मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तथा कार्यनिष्पादन एजेंसियों के जरिए राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सड़क कार्यों के निष्पादन पर स्वतंत्र मॉनीटरों के माध्यम से नजर रखना और निरीक्षण करना या कराना।

7. राज्य एजेंसियों द्वारा सड़क कार्यों का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के बारे में अनुभव रखने वाले सेवारत और सेवानिवृत इंजीनियरों, अकादमिकों, प्रशासकों और अन्य एजेंसियों को स्वतंत्र मॉनीटरों के रूप में नियुक्त करना।

8. सड़क कार्यों की प्रगति को, पूर्ण करने की निर्धारित समय–सीमा, तकनीकी विशिष्टताओं, परियोजना मूल्यांकन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों के विशेष संदर्भ में, मॉनीटर करना।

9. आंकड़ों के अवलोकन और स्क्रीनिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु एक 'ऑन लाइन प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग व्यवस्था' स्थापित करना जिसमें इन्टरनेट और इन्टरनेट आधारित प्रणाली दोनों शामिल हों।

10. राज्यों अथवा संघराज्य क्षेत्रों द्वारा सड़क कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट भेजना।

11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनायी गयी ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर फल देने वाले और अन्य उपयुक्त पेड़ लगाने की योजना बनाने और पेड़ लगाने को मॉनीटर करना।

12. राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त व्यय संबंधी रिपोर्टों के जरिए तथा 'ऑन लाइन प्रबंधन एवं मानीटरिंग व्यवस्था' के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी धनराशि के संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले व्यय को मॉनीटर करना।

13. पायलट परियोजनाओं के निष्पादन सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित अनुसंधान कार्यकलाप करना।

14. ग्रामीण सड़कों के संबंध में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अध्ययन और मूल्यांकन तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों वाली पायलट परियोजनाओं पर अमल करना।

15. ग्रामीण सड़कों के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों, एजेंसियों अथवा निकायों के साथ सहयोग करना।

16. ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों तथा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

17. ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता तथा लागत–मानदण्डों में सुधार के उपायों पर सुझाव देना।

18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पुस्तकें, साहित्य प्रकाशित करना, प्रिंट, दृश्य अथवा दृश्य–श्रव्य प्रचार सामग्री तैयार करना या इसकी व्यवस्था करना।

19. ग्रामीण सड़कों के बारे में कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन और प्रायोजन करना।

20. ग्रामीण सड़को के निर्माण के लिए अपेक्षित उपकरण अथवा मशीनें खरीदना, लीज पर तथा किराए पर लेना।

21. कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसी तरह के अन्य संबंधित कार्यक्रमों, जिन पर अमल किया जा सके, की आयोजना और कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने के लिए यथा–आवश्यक क्रियाकलाप करना।

3. संगठनात्मक व्यवस्थाएं

3.1 साधारण सभा में 21 सदस्य होंगे जिनमें केन्द्रीय, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा कोई अन्य सरकारी प्राधिकारी, पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा पंजीकृत निकायों, ग्रामीण सड़कों से संबंधित किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों में अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा एजेंसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से संबंधित विशेष विशेषज्ञता, क्षमता अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होंगे।

माननीय ग्रामीण विकास मन्त्री तथा सचिव ग्रामीण विकास एन. आर. आर. डी. ए के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की साधारण सभा का गठन रिपोर्ट की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नानुसार था :–

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
1.	श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	श्री एस. विजय कुमार	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय,	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	श्रीमती बी. भामाथी[1]	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
4.	डॉ. प्रमोद कुमार आनन्द,	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक
5.	श्रीमती मंजू राजपाल	निदेशक, (आर.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
6.	डॉ मनोज सिंह	सलाहकार (परिवहन), कमरा नं. 264, योजना भवन, योजना आयोग, नई दिल्ली–110001	सदस्य (पदेन)
7.	श्री शक्तिकान्ता दास	अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
8.	श्री सी. कांडासामी	महानिदेशक (आर.डी) एवं विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)

[1] श्री अरविन्द मायाराम, ए.एस.एवं एफ.ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (जुलाई 2012 तक)

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
9.	श्रीमती सूसन डी. जार्ज	निदेशक पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
10.	डॉ. बी. राजेन्द्र	प्रधान सचिव, बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग, 5वां तल, विश्वेश्वर्या भवन, बेल्ली रोड, पटना–800015, बिहार	सदस्य
11.	श्री विवेक धण्ड	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,सदस्य छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रालय, रायपुर–492001 छत्तीसगढ़	
12.	श्री के. बी. अग्रवाल	सचिव , लोक निर्माण विभाग(सड़क एवं भवन) जम्मू एवं कश्मीर सरकार, नया सचिवालय, जम्मू	सदस्य
13.	श्री एस. के. सतपथी	प्रधान सचिव सह मु.का.अ, ग्रामीण विकास विभाग भू–तल, एसएसपी भवन, एचईसी भवन परिसर, रांची, झारखंड	सदस्य
14.	श्री वी एस.सेंटिल	प्रधान सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार सरकारी सचिवालय, उप–भवन, त्रिवेंद्रम	सदस्य
15.	श्री एस बी. चिरमांग	सचिव, लो.नि.वि., लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) लो.नि.वि. कम्पलेक्स, मेघालय सरकार, लोअर लेचूमियर, शिलौंग–793001 (मेघालय)	सदस्य
16.	डॉ. एस. गंगोपाध्याय	निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सीआरआरआई दिल्ली–मथुरा रोड, नई दिल्ली–110020	सदस्य
17.	श्री सी कांडासामी	अध्यक्ष, आई.आर.सी, सैक्टर–6 निकट आर.बी.आई कालोनी, कामकोटी मार्ग आर.के.पुरम. नई दिल्ली	सदस्य
18.	श्री ए. मोहन[2]	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, तृतीया तल, एनआईसी मुख्यालय, ए ब्लॉक, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–03	सदस्य
19.	डॉ. पी. जे. दिलीप कुमार	महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रो. पी.के. सिकदर	निदेशक, इंटर कंटीनेन्टल कन्सलटेंट एण्ड टेक्नोक्रैट्स प्रा. लि., ए–8, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–110016	सदस्य
21.	श्री एस.सी. शर्मा	सेवानिवृत महानिदेशक, एमओआरटीएच, 175, विज्ञापनलोक, मयूर विहार, फेज–I ,दिल्ली–110091	सदस्य

[2]श्री वाई. के. शर्मा, म.नि.एनआईसी, नई दिल्ली (अप्रैल 2013 तक)

श्री आर सी सिन्हा, प्रो. सतीश चन्द्र, प्रो. ए वीर राघवन तथा प्रो. के सुधाकर रेड्डी साधारण सभा की बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में जुड़े रहे हैं।

वर्ष के दौरान साधारण सभा की 16वीं तथा 17वीं बैठकें क्रमशः 30 जुलाई, 2012 तथा 1 फरवरी 2013 को हुई। बैठकों की अध्यक्षता श्री जयराम रमेश, माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास) एवं अध्यक्ष एनआरआरडीए द्वारा की गई। बैठकों में एनआरआरडीए के कार्यकलापों के पुनरीक्षण के अलावा वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया, वर्ष 2011–12 के लिए एनआआरडीए के लेखा परीक्षित लेखों को अपनाया गया तथा एनआरआरडीए के बजट–वर्ष 2012–13 के लिए परिशोधित प्राक्कलनों व एनआरआरडीए के वर्ष 2013–14 के लिए बजट प्राक्कलनों को पास किया गया।

3.2 राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के नियमों तथा अधिनियमों में कहा गया है कि एजेंसी की एक कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति में एनआरआरडीए के महानिदेशक पदेन अध्यक्ष हैं तथा एनआरआरडीए के अध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक सात सदस्य नियुक्त किए जाऐंगे। समिति को एजेंसी के सभी कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं बशर्ते कि वह इस संबंध में भारत सरकार तथा साधारण सभा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अधीन हों। रिपोर्ट के अधीन अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार थी :

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
1.	डॉ. पी.के. आनन्द	संयुक्त सचिव (आरसी) एवं महानिदेशक (एनआरआरडीए), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक (पदेन)
2.	डॉ. प्रवीन कुमार	प्रोफेसर, परिवहन इंजीनियरिंग अनुभाग, सिविल इंजिनियरिंग विभाग, आईआईटी, रूड़की	सदस्य
3.	डॉ. एस.एल. ढींगरा	प्रोफेसर, परिवहन इंजीनियरिंग अनुभाग सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवाई, मुम्बई, महाराष्ट्र	सदस्य
4.	डॉ. अशोक कुमार सरकार	डीन फेकल्टी डिवीजन–I, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	सदस्य

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय एवं पता	एन.आर.आर.डी.ए में पद
5.	प्रो. के.सुधाकर रेड्डी	प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिमी बंगाल	सदस्य
6.	श्री मसौदा लाल	उप सचिव (वित्त), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	डॉ. आई के पटैरिया	निदेशक (तकनीकी), एनआरआरडीए, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री भूपाल नंदा[3]	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), एनआरआरडीए, नई दिल्ली	सदस्य

3.3 साधारण सभा द्वारा यथा–अनुमोदित संगठनात्मक ढांचे में 5 प्रभाग हैं। वर्तमान संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट–I पर दिया गया है। संयुक्त सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआरआरडीए के पदेन महानिदेशक हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी एवं स्टाफ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त थे :

1. श्री प्रभाकांत कटारे, निदेशक (परियोजना - III) एवं मुख्य गुणवत्ता समन्वयक

2. श्री भूपाल नंदा, निदेशक (वि. एवं प्रशा.)

3. श्री एन. सी. सोलंकी, निदेशक (परियोजा–I)

4. डॉ. आई.के. पटैरिया, निदेशक (तकनीकी एवं परियोजना - II)

5. श्री सुनील कुकरेजा, संयुक्त निदेशक (वित्त एवं प्रशा.)

6. श्री अशित कुमार जैन, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)

7. श्रीमती माधवी वेदुला, सहायक निदेशक,(तकनीकी)

श्री राजेन्द्र चौहान, निदेशक (वि. एवं प्रशा.) एनआरआरडीए, (31 जुलाई 2012 तक)

8. श्री सी. पी. एस. यादव, सहायक निदेशक (परियोजना–I)

9. श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक (परियोजना–III)

10. श्री शैलेन्द्र कुमार दुबे, सहायक निदेशक (तकनीकी)

11. श्री तौफीक अहमद चिश्ती, सहायक निदेशक (तकनीकी)

12. श्री के.वी. राजूमोन, ड्राफ्टसमैन (परियोजना–III)

अधिकारियों एवं स्टाफ के अन्य पदों की व्यवस्था मानव शक्ति उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों को लेकर की गई थी। नेमी कार्य सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से बाहर से कराए जाते हैं।

4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

4.1 योजना

4.1.1 जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं एवं कोर नेटवर्क :–जिला ग्रामीण सड़क योजना में जिले की विद्यमान समस्त सड़क नेटवर्क प्रणाली होती है तथा यह संपर्कविहीन बसावटों को लागत एवं उपयोगिता के आधार पर किफायती एवं कार्यकुशल ढंग से सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित सड़कों की स्पष्टतया पहचान करता है। कोर नेटवर्क ग्रामीण सड़क का वह नेटवर्क है जो सभी बसावटों तक मूलभूत पहुँच उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। मूलभूत पहुँच बसावट तक एक बारहमासी सड़क संपर्कता के रूप में परिभाषित है। कोर नेटवर्क में मौजूदा सड़कों तथा संपर्कविहीन पात्र बसावटों तक निर्माण की जाने वाली सड़कें शामिल है।

4.1.2 सभी राज्य सरकारों को जिला ग्रामीण सड़क योजना तैयार करनी, व पीएमजीएसवाई के अंतर्गत योजनाओं के लिए कोर नेटवर्क की पहचान करनी होगी। सभी राज्यों से कोरनेटवर्क डेटा प्राप्त हो चुका है। तथापि कुछ राज्यों ने विस्तृत सूची बनाने एवं भूसत्यापन के बाद अवसंरचना में अशोधन करने अथवा बसावटों की संपर्कता संबंधि अवस्थिति को बदलने के लिए कोरनेटवर्क की समीक्षा करने हेतु आवश्यकता जाहिर की है। कुछ राज्यों ने भू–सत्यापन हेतु सविकृति ले ली है और तदनुसार कोरनेटवर्क में अपेक्षित बदलाव कर लिये हैं। कुछ राज्यों ने गांव की अपेक्षा बसावट को संपर्कता की ईकाई मानते हुए कोरनेटवर्क को संशोधित कर लिया है।

4.2 तकनीकी सहायता

4.2.1 प्रमुख तकनीकी एजेंसियां :– भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान तथा अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों सहित सात प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पी.टी.ए) को तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने, विभिन्न प्रौद्योगिकी कार्यों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने, और ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता एवं लागत मानदण्डों में सुधार के उपायों के बारे में सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। पी.टी.ए की सूची **परिशिष्ट–II** पर है।

4.2.2 राज्य तकनीकी एजेंसियां : राज्य सरकार की सिफारिशों पर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों को राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसियों (एस.टी.ए), राज्य सरकार द्वारा

तैयार परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करती हैं तथा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। एस.टी.ए द्वारा की गई संवीक्षा से परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्रता से होगी एवं पी.एम.जी.एस.वाई के कार्यान्वयन में एक निश्चित स्तर का तकनीकी अनुशासन और सख्ती स्थापित होगी साथ ही यह राज्य प्राधिकारियों के लिए प्रशासनिक रूप से भी उपयुक्त है। 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए)की सूची **परिशिष्ट–III** पर है।

4.2.3 मानक बिडिंग दस्तावेज

अच्छी प्रापण प्रणाली तथा बेहतर राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद इस कार्यक्रम के लिए एक मानक बिडिंग दस्तावेज विकसित किया गया है। मानक बिडिंग दस्तावेज को विकसित करने का कार्य इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को दिया गया था। विभिन्न राज्यों, सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विश्व बैंक तथा एडीबी आदि की प्रापण प्रक्रिया एवं मानक बिडिंग दस्तावेजों का अध्ययन किया गया तथा मसौदा दस्तावेजों को पूरी तरह तैयार कर लिया गया गया था। मसौदा विस्तृत पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श के अंतर्गत था।

यह दस्तावेज राज्य सरकारों की निष्पादन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2003–04 से प्रयोग में लाने हेतु निर्धारित किया गया है। मानक बिडिंग दस्तावेज में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान रखे गए हैं:–

(i) निविदा निर्माण कार्य के साथ–साथ पांच वर्षों के लिए सड़क कार्य के रख–रखाव हेतु आमंत्रित की जाएगी ।

(ii) वित्तिय बिड को खोलने से पूर्व बिडिंग क्षमता, सिविल इंजिनियरी कार्यों तथा सम्बद्ध क्षेत्र में अनुभव, अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर की उपलब्धता तथा वित्तीय क्षमता आदि के संबंध में ठेकेदार की तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

(iii) गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापित करना तथा अनिवार्य जांचें करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा व ठेकेदार को अपेक्षित इंजिनियरिंग तथा तकनीकी स्टाफ नियुक्त करना होगा।

(iv) निर्माण हेतु निधियां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी तथा पांच वर्ष के लिए सड़क कार्य के रखरखाव हेतु निधियां राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

राज्यों द्वारा दस्तावेजों को प्रयोग में लाने के अनुभवों तथा पणधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर एसबीडी में अपेक्षित संशोधन किए गए हैं तथा उन्हें वेबसाईट पर अपलोड़ किया गया है।

एडीबी एवं विश्व बैंक के विश्वभर के अनुभवों के आधार पर श्रेष्ठ व्यवहारों को अपनाने के संबंध में केवल एडीबी/विश्व बैंक सहायित परियोजनाओं के लिए एसबीडी में कुछ संशोधन किए गए हैं।

4.2.4 पीएमजीएसवाई के अतंर्गत इलैक्ट्रॉनिक प्रापण (ई–प्रोक्यूरमेंट)

पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एजेंसियों के चयन के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से टेंडर करने हेतु एक सुस्थापित प्रक्रिया अपनानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग में तुलनात्मक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने अप्रैल 2009 से राज्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग का निर्णय लिया था तथा इस समय सभी राज्य पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों का प्रापण ई–टेंडरिंग के माध्यम से कर रहे हैं।

4.3.1 परियोजना संवीक्षा तथा स्वीकृति :

परियोजना प्रस्ताव राज्यों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा राज्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा स्वीकृति के बाद उन्हें एनआरआरडीए को भेज दिया जाता है। एनआरआरडीए यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जाचें एवं आगे और संवीक्षा करता है कि

27,013.94 करोड़ रूपये के प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें अधिकार संपन्न समिति द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव कार्यक्रम दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखकर तैयार किये गये हैं। संवीक्षा किये गये यह प्रस्ताव सशक्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाते हैं। 27013.94 करोड़ रूपये के प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें अधिकार संपन्न समिति द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत किया गया। राज्य वार ब्यौरे **परिशिष्ट–IV** पर दिए गए हैं।

4.3.2 प्रत्यक्ष उपलब्धियां

कार्यक्रम के आरम्भ से 31 मार्च 2013 तक 91,278 बसावटों को 3,74,663 कि.मी. लम्बाई की नई संपर्कता तथा उन्नयन के साथ बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई गई है।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान 6,864 बसावटों को 24,161 कि.मी लम्बाई की नई सड़क संपर्कता तथा उन्नयन के साथ बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई गई है। राज्यवार ब्यौरे **संलग्न V** एवं **VI** पर दिये गये हैं।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान 6,864 सड़क संपर्कता तथा उन्नयन के साथ बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई गई बसावटों को 24,161 कि.मी लम्बाई की नई है।

पीएमजीएसवाई संचयी संपर्कता झुकाव 2012–13 तक

बसावटें

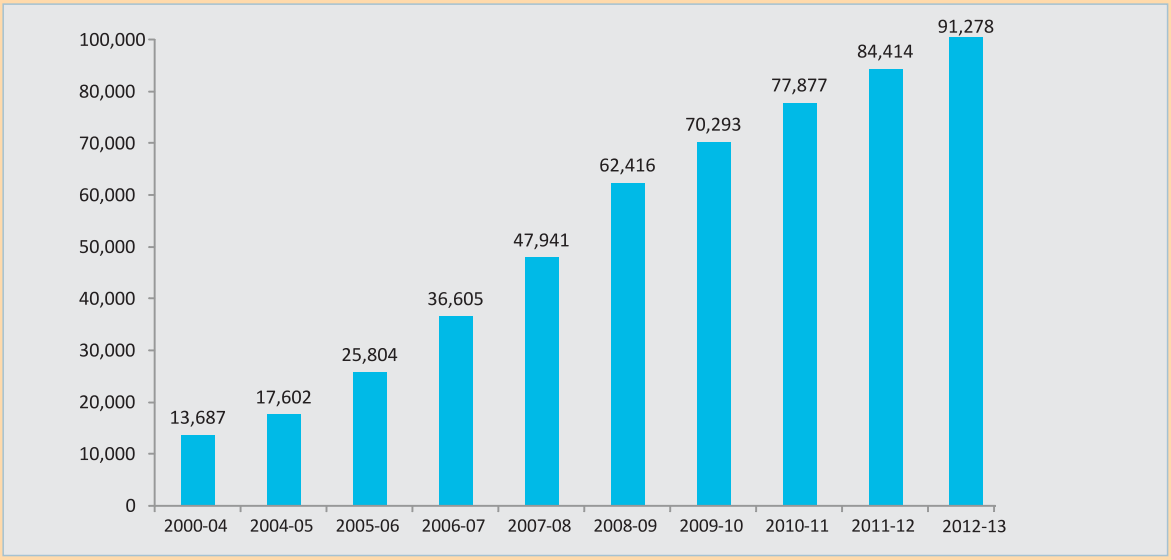

लम्बाई (कि.मी)

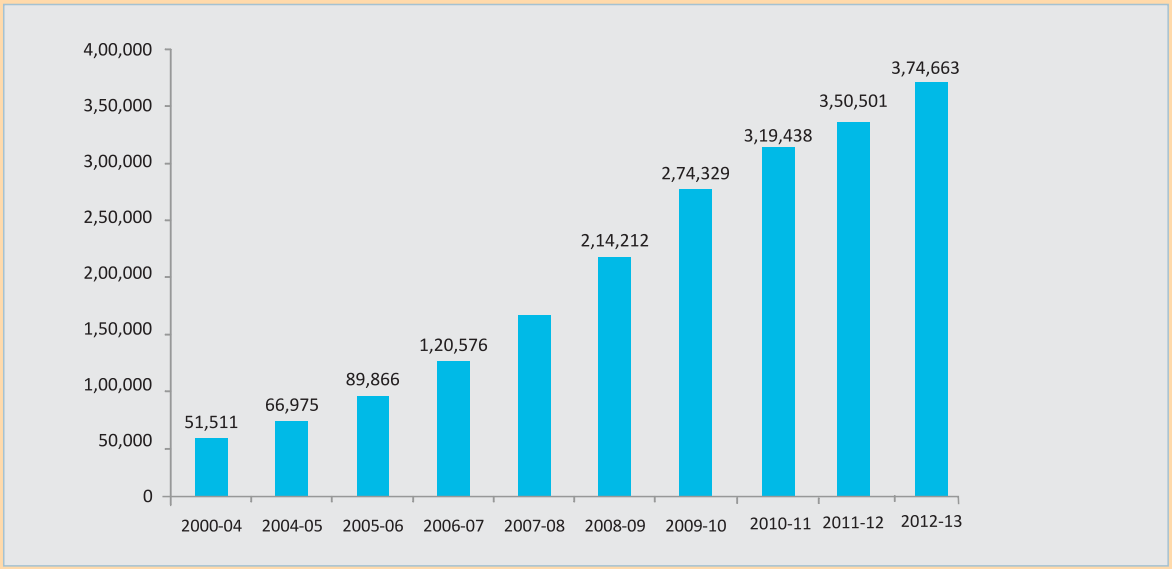

4.4 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रख–रखाव।

एक प्रक्रिया तैयार की गई है जिसके अनुसार राज्यों को कार्यक्रम निधियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एसआरआरडीए को अनुरक्षण निधियां जारी करने पर ही जारी की जाएंगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़क परिसंपत्तियों की धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण अनुबंध के साथ–साथ निर्माण पश्चात एक अनिवार्य 5 वर्षीय अनुरक्षण अनुबंध भी वर्ष 2003 से आरंभ किया गया था। तथापि तथ्यों पर विचार करते हुए कि राज्यों में अनुरक्षण गतिविधियों की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता एक प्रक्रिया तैयार की गई है जिसके अनुसार राज्यों को कार्यक्रम निधियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एसआरआरडीए को अनुरक्षण निधियां जारी करने पर ही जारी की जाएंगी। मंत्रालय भी अनुरक्षण निधियों की उपलब्धता तथा इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए व्यय को मॉनीटर कर रहा है। राज्य की प्रतिबद्धता तथा प्रत्येक सड़क पर किए गए खर्च के अनुसार अनुरक्षण निधि की आवश्यकताओं को मॉनीटर करने हेतु ओएमएमएएस में भी प्रावधान समाविष्ट किया गया है।

4.5 अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों / सम्मेलनों / बैठकों में भागीदारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी तथा राज्यों सरकारों से अधिकारियों ने निम्नलिखित विषयों में सहभागिता की :

(1) निम्न परिवहन सड़क अभियान्त्रिकी। (उत्तम व्यवहार) के संबंध में ऑरलैण्डो, फ्लोरिडा, यूएसए में 11–13 अप्रैल 2012 को ग्रामीण सड़कों पर आईआरएफ कार्यकारी संगोष्ठी

अंतरराष्ट्रीय सड़क संघ ने ऑरलैण्डो, फ्लोरिडा (यूएसए) में अप्रैल 11–13, 2012 के दौरान हुए ग्रामीण सड़क निम्न परिवहन सड़क अभियान्त्रिकी (उत्तम व्यवहार) पर हुई कार्यकारी संगोष्ठी में नामांकन आमंत्रित किए इस संगोष्ठी का उद्देश्य अभियन्ताओं को सड़कों पर सतह तथा प्रत्येक ऐसे स्थल, जहां सड़क किसी नाले को पार करती है पर नालियों का महत्व तथा ढाल स्थिरीकरण के संबंध में मुख्य उत्तम व्यवहारों को समझाना था। संगोष्ठी उन समस्याओं का समाधान करने पर केन्द्रित थी जो संरचनात्मक विफलता तथा नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों का कारण बनती हैं। संगोष्ठी में विभिन्न देशों के सहभागियों ने भाग लिया। जिनमें सिविल अभियन्ता, सड़क प्रबंधक, अनुरक्षण कार्मिक, क्षेत्र तकनीशियन तथा निम्न परिहवन वाली सड़कों के आयोजन डिजाइन अनुरक्षण, मरम्मत एवं प्रबंधन में लगे साधन विशेषज्ञ शामिल थे।

भारत से निम्न 6 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया :

1. श्री रोहित कुमार, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय
2. श्री एस.आर. मीणा, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. श्री आर. चौहान, निदेशक (वि. एवं प्रशा.), एनआरआरडीए
4. श्री के.के. गुप्ता, सीई, पीडब्ल्यूडी, हिमाचल प्रदेश सरकार
5. श्री पी. सी. गौड़, एस. ई, पीडब्ल्यूडी, उत्तराखण्ड सरकार
6. श्री के.एल. बग्गा, सहायक निदेशक (पी–I), एनआरआरडीए

(2) बर्मिंघम, यू.के. में 18–23 जून, 2012 को दौरान वरिष्ठ सड़क कार्यकारी कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय सड़क संघ (आईआरएफ) ने 18–23 जून, 2012 को बर्मिंघम, यूके में हुए वरिष्ठ सड़क कार्यकारी सम्मेलन के निम्नलिखित दो मॉडयूलों में भाग लेने हेतु नामांकन आमंत्रित किए :

मॉडयूल 1 : सड़क क्षेत्र में सुधार

मॉडयूल 2 : सड़क वित्त प्रबंध

मॉडयूल : ''सड़क क्षेत्र में सुधार'' का उद्देश्य इस विषय में हुए सुधारों की किस्म और प्रकार, उनकी प्रभाविता तथा प्रभावी सुधारों को अन्यत्र आरंभ करने हेतु शिक्षा पर बातचीत करना था। उच्च स्तरीय परस्पर बातचीत के पूर्ण अधिवेशन एवं क्षेत्र के मुख्य विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यान के माध्यम से सहभागियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवहार, क्षेत्रीय भूमिका ग्रामीण सड़कों, स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व सड़क पट्ट, प्रबंधन संरचनाओं निष्पादन पर आधारित अनुबंधों एवं केस अध्ययन के विषय में जानकारी प्राप्त की।

इसी प्रकार ''सड़क वित्त प्रबंध'' मॉडयूल द्वारा नेटवर्क तैयार करने तथा उसका प्रबंध करने हेतु वित्त प्रबंध पर अन्य स्त्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना एवं सड़क क्षेत्र को और व्यावसायिक बनाने हेतु सड़कों का वित्त पोषण करने के लिए उन्नत यंत्रों की मांग पर विशेष बल दिया गया।

क्षेत्र के मुख्य प्राधिकारियों की तालिका द्वारा प्रदान किये गये सड़क वित्त प्रबंधन मॉड्यूल का उद्देश्य इन पहलुओं पर विचार करना, उच्च स्तरीय परस्पर चर्चा वाले सत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण पहलुओं तथा पढ़े जाने वाले पाठों, विशेशकर सड़क निधियों, शासन, निजि वित, उत्तरदायित्व, सार्वजनिक–निजि हिस्सेदारी (पीपीपी), सड़क प्रयोक्ता प्रभार एवं केस अध्ययन पर बल देना है।

वरिष्ठ कार्यकारी संगोष्ठी में भारत से डॉ.पी.के. आनन्द, संयुक्त सचिव (आर.सी) एवं महानिदेशक एनआरआरडीए के नेत्त्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। प्रतिनिधि मण्डल में निम्नलिखित उच्चाधिकारी शामिल थे :

1. डॉ. पी.के. आनन्द, संयुक्त सचिव (आरसी) एवं महानिदेशक, एनआरआरडीए

2. श्री एन.सी. सोलंकी, निदेशक, एनआरआरडीए

3. श्री वाई.एस. द्विवेदी, निदेशक (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय

4. श्री जे.एस. मोहन्ती, प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी, राजस्थान

5. श्री सी.पी. टॉन्गडेन, मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिक्किम

6. श्री ए.ए. सगाने, मुख्य अभियन्ता, एमआरआरडीए, महाराष्ट्र; एवं

7. श्री शेर मोहम्मद, अधीक्षण अभियन्ता एवं राज्य गुणवत्ता समन्वयक, पीएमजीएसवाई, पंजाब

(3) बर्मिंघम, यूके में 25–30 जून 2012 को वरिष्ठ सड़क कार्यकारी कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संघ (आईआरएफ) ने 25–30 जून 2012 के दौरान होने वाले वरिष्ठ सड़क कार्यकारी कार्यक्रम के दो निम्नलिखित मॉडयूलों में सहभागिता हेतु नामांकन आमंत्रित किये।

मॉडयूल 1 : सड़क सुरक्षा

मॉडयूल 2 : सड़क अनुरक्षण प्रबंधन

''सड़क सुरक्षा'' मॉडयूल का उद्देश्य शिक्षा तथा उद्योग से जुड़े मुख्य विशेषज्ञों को सड़क क्षेत्र में सांस्थानिक सुधार के लिए अति अद्यतन संकल्पनाओं, सिद्वान्तों पर चर्चा करने हेतु एक मंच पर लाना है। इस मॉडयूल के अंतर्गत सम्मिलित किये गये विषयों में अर्थशास्त्र, निम्न दर के उपाय, दृष्टि शून्य, असुरक्षित सड़क प्रयोक्ता, ऋण नितीयां एवं नितीयां, सुरक्षा संबंधी देखरेख, चालकों का प्रशिक्षण एवं मानक, दुर्घटना का विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और केस अध्ययन शामिल है।

''सड़क अनुरक्षण प्रबंधन'' मॉडयूल का उद्देश्य एक परस्पर चर्चा वाले मंच के माध्यम से ऐसे दृष्टिकोणों पर चर्चा करना था जो व्याख्यानों द्वारा केस अध्ययनों तथा शिक्षिकों, प्रभावी व कार्यकुशल सड़क अनुरक्षण प्रबंधन से जुड़े संगत पहलुओं के माध्यम से शिक्षा तथा उद्योग से अनुरक्षण प्रबंधन के विश्व स्तर के प्राधिकारियों को इकट्ठा करना है। इस मॉडयूल में कवर किये गये विषयों में डाटा एकत्रण, उपचार चयन, अग्रता, निर्णय अवलम्बन प्रणाली, ग्रामीण सड़क, धारणीयता तथा पर्यावरण शामिल है।

भारत से एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने वरिष्ठ सडक कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

1. श्री एस.आर.मीणा, निदेशक (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय,

2. श्री बी. राजेन्द्र, सचिव, आरडब्ल्यूडी, बिहार

3. श्री आई.के. पटैरिया, निदेशक (पी–II एवं तकनीकी), एनआरआरडीए

4. श्री अब्दुल हामीद शेख, मुख्य अभियन्ता, कश्मीर

5. श्री हीरामथ महेश, सीई, कर्नाटक; तथा

6. श्रीमती माधवी वेदुला, सहायक निदेशक, (तकनीकी), एनआरआरडीए

(4) ऑस्ट्रेलिया में 23–26 सितम्बर 2012 को हुआ 25 वां एआरआरबी सम्मेलन

सचिव (आरडी) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 23–26 सितम्बर 2012 को हुए 25 वें एआरआरबी सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे।

1. श्री एस. विजय कुमार, सचिव (आरडी)

2. श्री एन.सी. सोलंकी, निदेशक , एनआरआरडीए

3. श्री एम.सी. बोरो, विशेष सचिव–सह–आयुक्त, पीडब्ल्यूडी, असम

4. श्री जगदीश शर्मा, सचिव, पीडब्ल्यूडी, हिमाचल प्रदेश

ऑस्ट्रेलिया में एआरआरबी समूह तकनीकी निवेशों एवं समाधानों हेतु प्राधिकारियों के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार है। पिछले 50 से अधिक वर्षों से एआरआरबी समूह ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के परीक्षण हेतु स्त्रोत विकसित किये हैं।

एआरआरबी सम्मेलन का मूल विषय ''भविष्यों को आकार देना, अनुसंधान, नीति एवं परिणामों को जोड़ना,'' था। सम्मेलन ने निम्नलिखित चार धाराओं पर ध्यान दिया

- सुरक्षित प्रणालियां
- धारणीय अवसंरचना प्रबंधन
- धारणीय अवसंरचना विज्ञान/प्रौद्योगिकी
- भीड़भाड, भार एवं उत्पादकता

लगभग 500 स्थानीय, अर्न्तराज्य व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डलों ने सम्मेलन में भाग लिया

(5) वांशिगटन, यूएसए में 25–26 अक्तूबर 2012 को विश्व बैंक कर्मचारियों के साथ बैठक डॉ. प्रमोद कुमार आनन्द, महानिदेशक, एनआरआरडीए ने श्री प्रभाकान्त कटारे निदेशक परियोजना, एनआरआरडीए तथा श्री राजीव कुमार, प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास), उत्तर प्रदेश सहित 25–26 अक्तूबर 2012 के दौरान वांशिगटन यूएसए में विश्व बैंक मुख्यालय का दौरा किया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक (ग्रामीण अवसंरचना) व विश्वबैंक के टास्क टीम लीडर के साथ चर्चा की। इस चर्चा का उद्देश्य विश्व भर में ग्रामीण सड़क क्षेत्र में अपनाए जा रहे उत्कृष्ट व्यवहारों के संबंध में विश्वबैंक के अनुभव को साझा करना तथा ग्रामीण सड़क परियोजना–II के कार्यान्वयन तथा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सड़क परियोजना–I के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था।

(6) औरलैण्डो, फलोरिडा (अमेरिका) में 28 अक्तूबर से 06 नवम्बर 2012 को निष्पादन पर आधारित अनुरक्षण प्रबंधन

अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संघ (आईआरएफ) नेओरलैण्डो, फलोरिडा में 28 अक्तूबर से 06 नवम्बर 2012 तक धारणीय अनुरक्षण कार्यक्रम पर कार्यकारी संगोष्ठि में शामिल होने के लिए आमंत्रित

किया। सहभागी विभिन्न देशों की स्थितियों के अंतर्गत उत्कृष्ठ व्यवहारों के अनुप्रयोग पर चर्चा करने के लिए अनुरक्षण अनुबंध तथा परिसंपत्ति प्रबंधन में सक्रिय रूप से लगे विशेषज्ञों के कार्यकारी समूहों के साथ बातचीत में शामिल हुए। भारत से डॉ. पी.के. आनन्द, संयुक्त सचिव (आरसी) तथा महानिदेशक, एनआरआरडीए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने कर्मचारी संगोष्टी में भाग लिया प्रतिनिधिमण्डल में निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे :

1. डॉ. पी.के. आनन्द, संयुक्त सचिव (आरसी) एवं महानिदेशक, एनआरआरडीए
2. श्री प्रभाकांत कटारे, निदेशक, एनआरआरडीए
3. श्री मनोज कुमार, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. श्री राजीव कुमार, प्रधान सचिव (आरडी), उत्तर प्रदेश
5. श्री एस.एन. त्रिपाठी, प्रधान सचिव (आरडी), ओडिशा
6. श्री एस.के. अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीजीआरआरडीए, छत्तीसगढ़

(7) एल सल्वाडोर के गणतन्त्र सैन सल्वाडोर में 28–30 नवम्बर 2012 को ''ग्रामीण सड़क एवं विकास'' पर एक बैठक तथा विश्वसंगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

28–30 नवम्बर, 2012 के दौरान सैन सल्वाडोर में एल सल्वाडोर सरकार तथा ए.4 तकनीकी समिति द्वारा संयुक्त रूप से ''ग्रामीण सड़क एवं विकास पर एक बैठक तथा विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

बैठक तथा विश्व संगोष्टि का उद्देश्य स्थानीय अनुप्रयोगों के साथ सार्वभौमिक संदर्भ में ग्रामीण सड़कों, जो कि संपर्कता, संक्रामिकता तथा विकास की गारंटी दे सकती है, के निर्माण एवं अनुरक्षण सहायक रणनीतियां लागू करने के लिए अनुभव तथा अनुसमर्थ कार्यों को सांझा करना था। परिवहन तथा संचार के विकास के लिए सहायक अनुभव तथा जानकारी को साझा करने व दर्शाने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों ने बैठक तथा विश्व संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की ओर से प्रथम स्तरीय जानकारी प्रस्तुत की गई जबकि बैठक में विश्व सड़क अनुरक्षण के प्रभारी संस्थानों से प्रतिनिधि एकत्रित हुए।

भारत से श्रीमती मंजू राजपाल, उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में चार सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने बैठक तथा विश्व संगोष्ठी में भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे।

1. श्रीमती मंजू राजपाल, उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
2. श्री एम. के. गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता, एमपीआरआरडीए, मध्य प्रदेश
3. श्री पुरूषोतम दास हेगड़े, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, केआरआरडीए, कर्नाटक
4. श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, एनआरआरडीए

(8) वाशिंगटन डीसी, (अमरीका) में 25–28 फरवरी, 2013 को धारणीय विकास नेटवर्क मंच

श्री एस विजय कुमार, सचिव (आरडी), ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्रीमती बी, भामाथी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. प्रमोद कुमार आनन्द, संयुक्त सचिव (आरसी) एवं महानिदेशक, एनआरआरडीए तथा श्री भूपाल नंदा, निदेशक (वि. एवं प्र.), एनआरआरडीए सदस्य के रूप में शामिल थे ने वाशिंगटन डीसी, (अमरीका) में 25–28 फरवरी, 2013 को धारणीय विकास नेटवर्क मंच में सहभागिता थी। इस मंच का शीर्षक था ''धारणीय भविष्य के लिए समाधान'' जिसका उद्देश्य था धारणीय विकास के लिए अत्यन्त जोरदार चुनौतियों पर चर्चा। मंच के विषयों में शहरीकरण से लेकर कृषि, सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा एवं परिवहन तक शामिल थे।

सचिव (आरडी), जो कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे ने पीएमजीएसवाई पर संकेन्द्रित विषय ''भारतीय सड़क क्षेत्र के लिए संस्थान'' पर प्रस्तुतिकरण किया। इस बात पर बल दिया गया कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क आयोजन एवं गुणवत्ता गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयत्नरत संपर्कता कार्यक्रम के मूल स्तंभ हैं।

सचिव (आरडी) ने, ''धारणीय विकास को समर्थ बनाने हेतु परिवहन'' विषय पर चर्चा में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों को उत्तम कृषि एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें सामाजिक रूप से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक बेहतर सड़क एवं परिवहन प्रणाली से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

5. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया

कार्यक्रम के निष्पादन को वांछित उच्च गुणवत्ता मानकों तक लाने हेतु पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सांस्थानिक बनाया गया है।

पीएमजीएसवाई दिशा निर्देश गुणवत्ता पर केन्द्रित कार्यान्वयन रणनीतियों पर बल देते हैं तथा गुणवत्ता को इस कार्यक्रम के सत्व रूप में पहचानते हैं। कार्यक्रम के निष्पादन को वांछित उच्च गुणवत्ता मानकों तक लाने हेतु पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सांस्थानिक बनाया गया है।

इस प्रक्रिया का प्रथम स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है इस स्तर का उद्देश्य क्षेत्र स्थित प्रयोगशाला में सामग्री तथा कार्य कौशल पर अनिवार्य जांचों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण है। एक गुणवत्ता आश्वासन पुस्तिका (4 खण्डों में) तैयार की गई है तथा गुणवत्ता नियन्त्रण की आवश्यकता, उपस्कर तथा जांच प्रक्रियाओं व प्रबंधन प्रणाली को भली प्रकार समझने के साथ–साथ जांच की आवृत्ति की वैज्ञानिक व्यवस्था करने को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई है। स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच निर्धारण करके स्टेज पासिंग की संकल्पना भी शुरू की गई है। क्षेत्र प्रयोगशाला की स्थापना को प्रथम भुगतान के साथ जोड़ा गया है।

द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर एक संरचित स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटरिंग है जिसमें उत्पाद नियन्त्रण के लिए कार्यों की नियमित जांच के प्रावधानों को विचारा गया है। इस स्तर पर प्रत्येक कार्य को तीन स्तरों पर निरीक्षित करना होता है, अर्थात् निर्माण का प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर एवं अंतिम स्तर। द्वितीय स्तर पर एक जैसा तथा संरचनाबद्ध निरीक्षण करने हेतु राज्यों के लिए अगस्त 2010 में तकनीकी दिशा–निर्देश निर्धारित किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों में किए जाने वाले निरीक्षणों तथा जांचों की आवृति के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह ओएमएमएएस पर

निरीक्षणों का सार तथा प्रत्येक निरीक्षण के 10 डिजिटल फोटोग्राफ अपलोड करें। राज्यों के मानीटरों की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों को बाह्य स्त्रोतों से लेने के लिए एक मानक दस्तावेज भी निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न राज्यों में एसक्यूएम द्वारा निरीक्षित किए गए कार्यों की गुणवत्ता का श्रेणीकरण दर्शाने वाली विवरणी परिशिष्ट– VII पर दी गई है।

तृतीय स्तर के अंतर्गत सड़क कार्यों का यादृच्छिक निरीक्षण करने हेतु एनआरआरडीए द्वारा स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) को नियुक्त किया जाता है जो न केवल गुणवत्ता को मॉनीटर करते हैं बल्कि क्षेत्र कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ व्यावसायिओं का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के संगठनो से सेवानिवृत वरिष्ठ अभियन्ता होते हैं जिन्हें एनआरआरडीए द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर सुचीबद्ध किया जाता है। एनक्यूएम से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों का निरीक्षण करें तथा अपने प्रेक्षण रिकार्ड करें। एनक्यूएम निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश विषयपरक बनाये गये हैं तथा कार्रवाई योग्य बिन्दुओं पर स्पष्टता सहित प्रेक्षण की परिभाषित प्रणाली पर आधारित हैं। एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण की फोटोग्राफिक रिकार्डिंग करने के लिए भी दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। गुणवत्ता से संबधित मुद्दों की प्रभावी तथा एक समान रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राज मार्ग अभियन्ताओं के लिए भारतीय अकादमी (आईएएचई) के सहयोग से एनक्यूएम के लिए अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एनक्यूएम के प्रेक्षण राज्य सरकारों को कार्रवाई के लिए भेजे जाते हैं तथा की गई कार्रवाई (एटीआर) की रिपोर्टें एनआरआरडीए में मॉनीटर की जाती हैं। प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के लिए राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे एनक्यूएम निरीक्षणों को विस्तृत रूप से प्रचारित करें।

एनक्यूएम के प्रेक्षण राज्य सरकारों को कार्रवाई के लिए भेजे जाते हैं तथा की गई कार्रवाई (एटीआर) की रिपोर्टें एनआरआरडीए में मॉनीटर की जाती हैं।

एक स्वतन्त्र चयन समिति, जिसके अध्यक्ष महासचिव, (आईआरसी) हैं तथा निदेशक (आईएएचई), महानिदेशक (सेवानिवृत्त) श्री एस.सी.शर्मा, एम.ओ.आर.टी.एच., डॉ. प्रवीण कुमार, पीटीए समन्वयक, डॉ. सी.एस.आर. के. प्रसाद, पीटीए समन्वयक, सीआरआरआई के प्रतिनिधि–मुख्य नम्य पेवमेंट प्रभाग, सदस्य और निदेशक–।।।, एनआरआरडीए, संयोजक हैं, नये अभ्यार्थियों के आत्मवृत्तों पर विचार करती है तथा नए एनक्यूएम के नामिकायन हेतु सिफारिशें करती है।

एनआरआरडीए की कार्यकारिणी समिति नये एनक्यूएम के नामिकायन का अनुमोदन करती है। इसी प्रकार वर्तमान एनक्यूएम के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी स्वतंत्र कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति, जिसमें एसटीए/पीटीए के अधिकारी होते हैं द्वारा किया जाता है तथा इसकी कार्यवाही चयन समिति के समक्ष उसकी सिफारिशों के लिए प्रस्तुत की जाती है।

वर्तमान एनक्यूएम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी स्वतंत्र कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति, जिसमें एसटीए/पीटीए के अधिकारी होते हैं द्वारा किया जाता है तथा इसकी कार्यवाही चयन समिति के समक्ष उसकी सिफारिशों के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न राज्यों में चल रहे/पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में एनक्यूएम द्वारा किए गए निरिक्षणों का सार दर्शाने वाली विवरणी परिशिष्ट–VIII पर दी गई है।

6. पीएमजीएसवाई कार्यों की मोबाईल अनुप्रयोग पर आधारित गुणवत्ता मॉनीटरिंग व निरीक्षण रिपोर्टिंग का विकास

प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी–डेक) पुणे महाराष्ट्र ने भू–चिन्हित (जियो टैग्ड) फोटोग्राफों सहित निरीक्षण के ब्यौरे, जिन्हें निरीक्षण समाप्त होने के शीघ्र बाद ओमास में अपलोड किये जा सके प्रग्रहण करने हेतु ओमास के साथ एकीकृत मोबाइल पर आधारित अनुप्रयोग साफ्टवेयर विकसित किया है।

प्रस्तावित अनुप्रयोग की मुख्य विशेषताएं

(i) मोबाइल स्मार्ट फोनों के प्रयोग द्वारा क्षेत्र से अल्फा न्यूमेरिक डाटा एवं फोटोग्राफ प्रग्रहण करना ।

(ii) प्रत्येक प्रविष्टि को जियोकोड तथा टाइम स्टेम्प के साथ चिन्हित किया गया है।

(iii) निरीक्षण ब्यौरों को ओमास के साथ तथा फोटोग्राफों को जीआरआरआईएमएमएस के साथ एकीकृत किया गया है।

प्रस्तावित अनुप्रयोगों के लाभ

(क) डाटा प्रग्रहण तथा निरीक्षण की स्वचालित प्रक्रिया।

(ख) डाटा का क्षेत्र में प्रग्रहण किया जाएगा तथा वास्तविक समय के अंदर इसे केन्द्रीय सर्वर में अपलोड किया जाएगा।

(ग) पत्रों पर आधारित डाटा कम्प्यूटर में कॉपी करने में कोई त्रुटि नहीं होती।

(घ) भू–संदर्भ आगे गुणवत्ता निरीक्षण का समय व स्थान को मान्यता प्रदान करता है।

(च) चित्र को निरीक्षण साइट से मिलाने में कोई हस्त्य त्रुटि नहीं होती।

मोबाइल पर आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सचिव(आरडी) द्वारा 26 दिसम्बर 2012 को पुणे, महाराष्ट्र में आरंभ किया गया।

इस हेतु एनक्यूएम के प्रथम बैच को प्रशिक्षण 27–28 दिसम्बर 2012 के दौरान पुणे, महाराष्ट्र में दिया गया था।

शेष एनक्यूएम तथा सभी राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयकों के दूसरे बैच को प्रशिक्षण 22–23 फरवरी 2013 के दौरान भोपाल, मध्य प्रदेश में दिया गया था।

7. मॉनीटरिंग

7.1 ऑन लाइन प्रबंधन, मॉनीटरिंग और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस)

कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से मॉनीटर करने तथा कार्यान्वयन में बृहत्तर दक्षता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाने हेतु पीएमजीएसवाई के लिए एक आधुनिक वेब पर आधारित ऑन लाइन प्रबंधन,

मॉनीटरिंग और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) को सांस्थानिक बनाया गया हैं। मुख्य ऐपलीकेशन साफ्टवेयर मॉड्यूल में ग्रामीण सड़क योजना तथा कोर नेटवर्क, प्रस्ताव, टेन्डर तथा अनुबंध, निष्पादन (प्रत्यक्ष एवं वित्तीय प्रगति), गुणवत्ता मॉनीटरिंग, निधियों का प्रवाह तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे (कार्यलेखें) शामिल हैं। एक गुण जो ओएमएमएएस को अन्य सॉफ्टवेयरों से अलग करता है वह पूर्ण पारदर्शिता है। इसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर के संक्षिप्त उत्पाद पर आरंभ कर सकता है तथा आगे रास्ता बना सकता है। वेब साईट www.omms.nic.in है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) द्वारा लेखों का हाथ से संकलन छोड़ दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रापण जैसे नए विस्तार इसमें जोड़े जा रहे हैं तथा अधिक संख्या में राज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाया जा रहा है। ओएमएमएएस पर एमआईएस रिपोर्टें हिन्दी, गुजराती, उड़िया और तमिल में भी उपलब्ध है।

वेबसाइट में एक मेन्यू बार है जहां फीडबैक विशिष्ट रूप से नजर आती है। फीडबैक मॉड्यूल के तीन सैक्शन हैं यथा टिप्पणी, शिकायत तथा पूछताछ। इस माड्यूल तक सभी नागरिकों की पहुंच है। कार्यक्रम से संबंधित कोई भी टिप्पणी शिकायत और/अथवा पूछताछ माड्यूल के विभिन्न सैक्शनों के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।

एक केन्द्रीय वेबसाइट भी विकसित की गई है जो पीएमजीएसवाई परियोजना, दिशानिर्देश, संबद्ध एजेंसियों, भूमिका एवं उत्तरदायित्वों आदि के ब्यौरे उपलब्ध कराती है तथा इसे इस वेबसाइट पर www.pmgsy.nic.in पर पाया जा सकता है।

7.2 समीक्षा बैठकें

राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए कुछ समीक्षा बैठकें दिल्ली में हुई थी तथा 12 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें क्षेत्रीय स्तर पर हुई जिनमें प्रत्येक राज्य को वर्ष में दो बार कवर किया गया। इन समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए तथा कुछ स्थानों पर सचिव ग्रामीण विकास/अपर सचिव ग्रामीण विकास, एनआरआरडीए के अधिकारी एवं राज्यों/एसआरआरडीए के अधिकारी आदि शामिल हुए। बैठक के दूसरे दिन कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों, राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों, प्रधान तकनीकी एजेंसियों सहित राज्य तकनीकी एजेंसियों को राज्यों की विशिष्ट तकनीकी परिचर्चाओं में आमंत्रित किया गया था।

7.3 पारदर्शिता और नागरिक मॉनीटरिंग

(क) प्रस्तावित कार्य के वास्तविक ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए स्थल (साईट) पर नागरिक सूचना बोर्ड तैयार किये गये हैं। पेवमेंट की प्रत्येक परत की मोटाई के ब्यौरों के साथ–साथ प्रत्येक परत में प्रयोग में लाई गई सामग्रीयों की मात्रा को बोर्डों पर दर्शाया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह प्रत्येक पीएमजीएसवाई सड़क पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड लगायें ताकि नागरिकों को सूचना मिल सके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।

कार्यक्रम में पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह पीएमजीएसवाई सड़कों का मिलकर दौरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की प्रणाली को अपनायें।

(ख) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

एनआरआरआरडीए, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को पीएमजीएसवाई स्कीम के प्रभावी कार्यान्वन के लिए तकनीकी तथा प्रबंधन सहायता प्रदान कर रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक जनप्राधिकरण है। पीएमजीएसवाई बड़े वित्तीय स्त्रोतों का परिनियोजन शामिल करती है तथा योजना से संबधित महत्वपूर्ण सूचना को जनाधिकारी क्षेत्र में अपरिहार्य बनाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रत्येक कार्यकारी स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व चाहती है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

एजेंसी ने पीएमजीएसवाई से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को अपनी सरकारी वेबसाइट (http//www.pmgsy.nic.in) पर रखा है तथा अपने वेब समर्थ ऑन लाइन प्रबंधन, मानीटरिंग एवं लेखाकरण प्रणाली (ओएमएमएएस), जिसके लिए यूआरएल www.omms.nic.in है के माध्यम से भी और अधिक सूचना उपलब्ध करा रही है। संयुक्त निदेशक (वित्त एवं प्रशा.), तथा निदेशक (वित्त एवं प्रशा.), एनआरआरडीए क्रमशः एजेंसी के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी हैं।

(ग) परिणाम ढांचा कार्य दस्तावेज (आरएफडी)

एनआरआरडीए का आरएफडी उन अति महत्वपूर्ण परिणामों का सार उपलब्ध कराता है जो वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त करने अपेक्षित हैं। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य गतिविधि का संकेन्द्रण प्रक्रिया अभिविन्यास से हटाकर परिणाम अभिविन्यास पर संकेंद्रित करना तथा वर्ष के अंत में समग्र निष्पादन का मूल्याकंन करने हेतु एक उद्देश्य एवं एक स्पष्ट आधार उपलब्ध कराना है। एनआरआरडीए का आरएफडी www.pmgsy.nic.in पर उपलब्ध है। सफलता सूचकों, लक्ष्यों सहित एनआरआरडीए की दूरदृष्टि, मिशन, उद्देश्य और कार्य **परिशिष्ट–IX** पर दिए गए हैं।

(घ) सेवोत्तम शिकायत नागरिक चार्टर तथा शिकायत दूर करने की प्रणाली : एनआरआरडीए का नागरिक चार्टर तथा शिकायत दूर करने की प्रक्रिया। **परिशिष्ट-X** पर दी गई है।

8. अनुसंधान और विकास

8.1 अनुंसधान एवं विकास की पहलें

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों की शुरूआत की है :

- जूट भू वस्त्र का प्रयोग।
- आई आरसी द्वारा मान्य तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों को प्रयोग में ला रही परियोजनाओं का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन।

8.1.1 ग्रामीण सड़कों में जूट भू वस्त्र का प्रयोग

कमजोर मिट्टी में सड़क निर्माण की लागत अधिक आती है इसलिए मिट्टी की मजबूती क्षमता बढ़ाने के लिए जूट प्रयोग के लाभों पर अनुसंधान और विकास निष्कर्षों का आगे अध्ययन किया जा रहा है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जूट भू–वस्त्र (जेजीटी) के प्रयोग के क्षेत्रीय स्तर पर

क्षमता में सुधार करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरूआत की गई और जूटविनिर्माण विकास परिषद् (जे.एम.डी.सी.), जो वस्त्र मंत्रालय की एक एजेंसी है को इस पायलट परियोजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। यह इसकी बजाय केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई) नई दिल्ली के लिए तकनीकी परामर्शदाता के रूप में बनी रही है। जेजीटी टेक्नॉलोजी के साथ नौ सड़कें पूरी हो चुकी हैं (स्थानीय विपरीत परिस्थितियों के कारण पश्चिमी बंगाल में एक सड़क आरम्भ नहीं की जा सकी तथा इसे पाइलट परियोजना से निकाल दिया गया है) सीआरआरआई ने पांच सड़कों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है। सीआरआरआई द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए :

पेवमेंट क्षरण नियंत्रण के लिए जूट जियो टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी ने संतोषजनक कार्य किया है। जैसा कि यह अध्ययन कम परिवहन वाली सड़कों पर आधारित है, जूट जियो टेक्सटाइल के प्रयोग के साथ पेवमेंट के कार्य निष्पादन में सुधार और तथ्यता प्रेक्षणों के दो सेटों के आधार पर जूट जियो टेकस्टाइल के प्रयोग से सही ढंग से लाभ निर्धारण को स्थापित करना कठिन है। सीआरआरआई ने सुझाव दिया है कि पांच वर्ष की अवधि के लिए निष्पादन मूल्यांकन करने हेतु पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुछ और सड़के निर्मित की जाएं।

8.1.2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं

राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है कि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों तथा भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा मान्य सामग्रियों को भी प्रयोग में लाते हुए नियमित प्रस्तावों के साथ–साथ प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाएं प्रस्तुत करें। राज्यों से प्राप्त की गई परियोजनाओं की संवीक्षा की जाती है तथा उन्हें तकनीकी प्रदर्शन एवं सामग्रियों के मूल्यांकन हेतु अधिकार संपन्न समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

- आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा तमिलनाडु राज्यों को प्रत्येक राज्य की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में नई संपर्कता अथवा उन्नयन के अंतर्गत 50 कि.मी. की लम्बाई में कायर जीओ टेक्सटाइल का प्रयोग करने हेतु पत्र जारी किए गए हैं।

- सभी राज्यों को ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की लगभग 100 कि.मी. लम्बाई को पायलट आधार पर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की ऊपरी सतह के निर्माण हेतु, यदि राज्य में अनुमत हो कोल्डमिक्स प्रौद्योगिकी के प्रयोग, के लिए पत्र प्रचारित किए गए हैं।

- आर एवं डी शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2013 तक स्वीकृत की गई सड़कों, जिनमें विभिन्न सामग्रियां एवं प्रौद्योगिकियां प्रयोग में लाई गई हैं की राज्यवार संख्या परिशिष्ट-XI पर दी गई है।

8.1.3 ग्रामीण सड़क पेवमेंट के कार्य निष्पादन का अध्ययन

ग्रामीण सड़क पेवमैंट निष्पादन अध्ययन राज्य तकनीकी एजेंसियों के लिए आयोजित कार्यशाला की सिफारिशों पर शुरू किया गया है ताकि निम्नलिखित के मूल्यांकन को सुगम बनाया जा सकेः–

- स्थिरता बनाए रखने के लिए वर्तमान डिजाइन प्रक्रियाओं की दक्षता।

- विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवेशों में सड़कों पर चलने वाले यातायात में विविध वृद्धि की प्रवृत्तियाँ।

- विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में निश्चित समयावधि में पेवमेंट की उत्तरोतर खराबी।

ग्रामीण सड़क पेवमैंट निष्पादन अध्ययन कराने के लिए पीटीए/एसटीए से संस्थानों की पहचान कर ली गई थी तथा समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। सभी संस्थानों से अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। संस्थानों से प्राप्त हुए डाटा का विशलेषण तथा प्रतिरूपण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चैन्नई द्वारा किया जा रहा है।

9. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.1 बाह्य वित्त पोषण एजेंसियां

चूंकि केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत हाई स्पीड डीजल पर उपकर की उगाही से उपलब्ध संसाधन इस प्रकार के कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के सहयोग से उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि बाह्य वित्त पोषण एजेंसियों, जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी परियोजना की तैयारी और कार्य निष्पादन के लिए तकनीकी और प्रचालन संबंधी सहायता प्रदान करती है। ऋण/परियोजना अनुबंधों में नियत फ्रेमवर्क के अनुसार इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन को भी एन आर आर डी ए द्वारा मॉनीटर किया जाता है।

9.2 विश्व बैंक सहायित पीएमजीएसवाई आरआरपी–II परियोजना

1. प्रावधान : पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना–II पर जनवरी 2011 में हस्ताक्षर किए गए। विश्व बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता (44.50 रू. प्रति अमरीकी डॉलर की दर से रू. 7,592 करोड़) मिली है। आरआरपी–II में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

(क) घटक क –कार्यक्रम निधियां 1440 मिलियन अमरीकी डॉलर (रू 6,408 करोड़)

(ख) घटक ख – संस्थानों को समर्थ बनाने के लिए 60 मिलियन अमरीकी डॉलर (रूपये 267 करोड़)

2. घटक क : यह प्रारंभ में सात राज्यों के लिए कार्यक्रम वित्त प्रबंध है। परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति, अनुबंध सौंपने तथा व्यय वर्तमान अवस्थिति (31 मार्च 2013) निम्नानुसार है :

लम्बाई कि.मी में, लागत करोड़ में 1 यूएस $ = रू. 53

#		स्वीकृत परियोजनाएं				सौंपे गए कार्य				व्यय	
	राज्य	सड़कें	लम्बाई	लगत	एम यूएस $	सड़कें	लम्बाई	लगत	एम यूएस $	रू. करोड़	एम यूएस $
1	हिमाचल प्रदेश	318	1690	516	97	80	413	106	20	84	16
2	झारखण्ड	1331	4296	1887	356	231	862	269	51	38	7
3	मेघालय	18	106	95	18	14	92	84	16	8	2
4	पंजाब	202	1666	808	152	79	999	471	89	196	37
5	राजस्थान	2334	7171	1951	368	14824	4768	1307	247	521	98
6	उत्तर प्रदेश	1584	4709	1919	362	768	2306	944	178	134	25
7	उत्तराखंड	162	1238	543	102	23	106	63	12	5	1
कुल		5949	20876	7719	1456	16019	9546	3244	612	986	186

* इस खर्च में मार्च 2013 तक आरआरपी– I के रू. 40 करोड की राशि जोड़े जाने की सूचना दी गई है।

3. घटक खः पीएमजीएसवाई आरआरपी–II में अनुसंधान एवं विकास, सत्यापन के स्वतंत्र साधन, राज्य स्तरीय सांस्थानिक सहायता, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी उप घटकों के प्रावधान हैं। प्रावधानों तथा अब तक की गई प्रगति का सार नीचे दिया गया है :

ख1 अनुसंधान एवं विकास 11.9 मिलियन अमरीकी डॉलर (रू. 64.26 करोड़)

ख (i) अनुरक्षण प्रबंधन

प्रावधान :

सरल अनुरक्षण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु आईएलओ के साथ भागीदारी,

(क) मानक अनुरक्षण अनुबंध सहित निश्पादन एवं समुदाय पर आधारित अनुबंध, इन प्रणालियों का प्रदर्शन

(ख) स्पष्ट रूप से तैयार की गई नीतियों एवं रणनीतियों के साथ संशोधित अनुरक्षण मैनुअल

प्रगति :

(क) 26.9.12 को हस्ताक्षरित आईएलओ अनुबंध

(ख) दिसम्बर 2012 को आईएलओ द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट

(ग) टीम लीडर तथा भाग के रूप में रखा गया स्टाफ। अन्य मुख्य कर्मचारियों की तैनाती प्रगति पर।

ख1(ii) लागत प्रभावी सड़क डिजाइन

प्रावधान :

(क) वित्त, अनुसंधान तथा परीक्षण हेतु आईआरसी एवं अन्य संस्थानों के साथ भागीदारी

(i) लागत प्रभावी आपृष्ठन तथा पेवमेंट विकल्पों सहित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां

(ii) समुचित पहाड़ी सड़क डिजाइन

(iii) हरित आधारभूत संरचना तकनीकें

(iv) सड़क सुरक्षा के लिए संशोधित दिशानिर्देश

(ख) परिणामों को वर्तमान तकनीकी मैनुअलों तथा दिशानिर्देशों के संशोधन में दर्शाया जाएगा।

(ग) निम्न हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

* संशोधित/अभिविन्यास तथा मैनुअलों का प्रस्तुतीकरण

* संबंधित प्रशिक्षण सामग्रियां वीडियो तथा इलेक्ट्रॉनिक मॉडयूल

प्रगति :

(i) वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के लिए डीपीआर सहित 1597 कि.मी. लम्बाई में लागत प्रभावी आपृष्ठन तथा एनआरआरडीए द्वारा स्वीकृत किए गए पेवमेंट (सामान्य कार्यक्रम निधियों से)

(ii) प्रचालन पुस्तिका में संशोधन तथा डीपीआर मैनुअल की तैयारी का काम आईआरसी को सौंपा गया।

(iii) आईआरसी से आईआरसी एसपी : 20, को संशोधित करने का अनुरोध तथा बीओएस एवं एसडीबी का संशोधन पहले ही प्रगति पर है। संशोधनों में संबंधित बिंदु रखे जा रहे हैं।

(iv) एनआरआरडीए द्वारा सड़क सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ख1(iii) ओमास एवं जीआईएस के विकास हेतु सहायता।

प्रावधान :

निम्नलिखित सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं।

(क) ओमास में सुधार

(ख) वेब आधारित जीआईएस के विकास के माध्यम से कोर नेटवर्क हेतु डाटाबेस स्थापित करना। जीआईएस को प्रयोग में लाते हुए सामाजिक एवं पर्यावरणीय जांच परख

(ग) सड़क कार्यों की उन्नत सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकता

(घ) अनुरक्षण पर एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग मॉडयूल का विकास

इसका उद्देश्य एक विस्तृत आयोजन, प्रबंधन एवं रिपोर्ट प्रणाली स्थापित करना होगा जिसमें निर्माण के साथ–साथ अनुरक्षण भी सम्मिलित हो।

प्रगति :

(i) जीआईएस के लिए सांझा मंच तैयार करने तथा ओमास के साथ एकीकरण करने हेतु एनआईसी को एक छत्र संगठन माना गया है। डीआरआरपी (प्रस्तावित संशोधित डीआरआरपी एवं कोर नेटवर्क सहित) को जीआईएस पर रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य को राज्यों द्वारा पहले से किए गए कार्यों की देखभाल करने सहित जीआईएस को विकसित करने हेतु जनशक्ति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) एनआईसी ने रू. 9.7 करोड़ का आकलन प्रस्तुत किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

(iii) ओमास की संवीक्षा एवं सुधार कार्य इनहाउस एवं सीडेक द्वारा किया जा रहा है।

(iv) ई–प्रापण के साथ ओमास के एकीकरण को एनआईसी द्वारा लिया गया है।

ख1(iv) मुख्य कार्यक्रम अध्ययनों एवं दिशानिर्देश तैयार करने हेतु सहायता।

प्रावधान :

निम्नलिखित सहित मुख्य अध्ययनों का बीड़ा उठाने के लिए परामर्शी सहायता प्रदान करना।

(क) कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर

(ख) परिवहन सेवाओं के प्रावधान तथा अद्यतन और

(ग) ओएम जैसे मुख्य कार्यक्रम दस्तावेजों का प्रसार तथा अनुबंध प्रबंधन मैनुअल का प्रापण

प्रगति :

कृषि आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन प्रणाली पर अध्ययन का मामला तथा परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर बीआईटीएस पिलानी के साथ चर्चा की गई है। संकल्पना नोट पर कार्य तथा प्रस्तावित अध्ययन किया जा रहा है।

ख2 सत्यापन के स्वतंत्र साधन 6.7 अमरीकी मिलियन डॉलर (रू. 36.18 करोड़)

ख2 (i) निष्पादन लेखा परीक्षा

प्रावधान :

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन निष्पादन की समेकित उत्तर समीक्षा हेतु परामर्शी सेवाएं। डीएलआई तथा न्यासी रक्षोपाए व तकनीकी पहलूओं का सत्यापन।

प्रगति :

परियोजना लेखा परीक्षा परामर्शदाता अनुबंध पर, विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद संभवतः मई 2013 को हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस विषय में आगे की कार्रवाई प्रस्तावित अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद आरंभ की जाएगी।

ख2 (ii) नागरिक मॉनीटरिंग एवं शिकायत निवारण

प्रावधान :

(क) सड़क निर्माण हेतु नागरिक मॉनीटरिंग सहायता तथा प्रशिक्षित संवर्गों द्वारा निर्माणोंपरांत लेखा परीक्षा व नमूने के आधार पर उसका जनकार्य केन्द्रों द्वारा प्रेक्षण।

(ख) तद्न्तर नागरिक मॉनीटरिंग 100 जिलों में आरंभ की जाएगी।

(ग) शिकायत निवारण हेतु सहायता ।

प्रगति :

जनकार्य केन्द्र : नागरिक मॉनीटरिंग हेतु फरवरी 2013 में जन कार्य केन्द्र नियुक्त किए गए हैं तथा सहभागी राज्यों में एनजीओ सहभागी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट 30 जून 2013 तक अपेक्षित है।

ख2 (iii) स्वतंत्र एफएम लेखापरीक्षा

प्रावधान :

प्रत्येक सहभागी राज्य तथा एनआरआरडीए में स्वतंत्र वित्तीय लेखापरीक्षा हेतु सेवाएं।

प्रगति :

विचारार्थ विषय (टीओआर) निदेशक (वि. एवं प्र.) के पास तैयारी के अधीन हैं।

ख2 (iv) परिणाम मॉनीटरिंग

प्रावधान :

पीएमजीएसवाई के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय के किसी भारतीय अनुसंधान संस्थान की सहायता।

प्रगति :

कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

ख3 राज्य स्तर की परियोजना सांस्थानिक सहायता 22.6 मिलियन अमरीकी डॉलर (रू. 122.0 करोड़)

ख3 (i) पीएमसी

प्रावधान :

सहभागी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श ।

राज्य स्तर की गतिविधियों का समन्वय सुगम बनाने हेतु एनआरआरडीए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सहायता ।

प्रगति :

जहां तक राज्यों में परियोजना प्रबंधन परामर्श लागू करना सम्बद्ध है, मेघालय, झारखण्ड, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमसी को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमसी को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राजस्थान के मामले में तकनीकी बिडें 25 जून 2013 तक प्राप्त हो जाएंगी।

ख 3 (ii) अनुरक्षण प्रबंधन हेतु सहायता

प्रावधान :

एमएमएस के विकास, सड़क माल सूचियां निष्पादन अनुरक्षण प्रणालियां व्यय पता लगाने के सर्वेक्षण करने तथा अनुरक्षण नीति लागू करने के लिए परामर्श सहायता ।

प्रगति :

कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

ख 4 उपस्कर (7.8 मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रावधान

एनआरआरडीए एवं सहभागी राज्यों को सर्वेक्षण एवं जांच हेतु अवसंरचना उन्नत करने, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना कार्यान्वयन, प्रशिक्षण परिकलन क्षमता तथा नई प्रौद्योगिकियां प्रारंभ करने के लिए सहायता हेतु उपस्कर ।

प्रगतिः

सभी सहभागी राज्यों के लिए सर्वेक्षण की सूची, स्थिती एवं गुणवत्ता नियन्त्रण उपस्कर को अंतिम रूप दिया गया है तथा रूपये 9.93 करोड़ (1.87 मिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

ख5 प्रशिक्षण एवं कौशल विकास (10.9 मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रावधान :

सहायता हेतु घटक

(क) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के स्टाफ, जिसमें एसआरआरडीए, लोक निर्माण विभाग, आरईएस, पीआरआई, परामर्शदाता एवं ठेकेदार भी शामिल हैं का व्यक्तिक कौशल विकास।

(ख) आवश्यकताओं के निर्धारण तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रशिक्षण योजनाओं के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) राज्य स्तर के संस्थान एवं आईएएचई द्वारा प्रदान किए जाने वाला मुख्य प्रशिक्षण ।

(घ) समर्थित किए जाने वाले आधुनिक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सामग्री का विकास ।

(च) अंर्तराज्य तथा अंतरराष्ट्रीय जानकारी का आदान प्रदान करके प्रशिक्षण देना।

प्रगतिः

इस समय विद्यमान प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण तथा उपलब्ध पाठ्यक्रम सामग्री के आधार पर आईएएचई तथा सीआरआरआई द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यों द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं तथापि प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण, राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान से और ज्यादा सुव्यवस्थित कार्य अभी किया जाना है।

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए की गई पहलें निम्नानुसार हैं :

(i) बीआईटीएस पिलानी आईआईटी रूड़की तथा आईआईटी खड़गपुर की सहायता से प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की अगुवाई करेगा।

(ii) गतिविधियां : प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण, वर्तमान प्रशिक्षण सामग्री में सुधार तथा विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं को प्रयोग में लाया जाएगा।

(iii) प्राध्यापक वर्ग की पहचान तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर दो बैठकें हो चुकी हैं। उपर्युक्त सूची में दर्शाई गई विभिन्न गतिविधियों पर कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

9.3 एशियन विकास बैंक (एडीबी)

9.3.1 एशियन विकास बैंक (एडीबी) से सहायता

एडीबी असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों में ग्रामीण सड़क सैक्टर–। तथा ग्रामीण सड़क सैक्टर–।। परियोजनाओं के लिए पीएमजीएसवाई को सहायता प्रदान कर रहा है।

ग्रामीण सड़क सैक्टर–। परियोजना (आरआरएसआईपी) मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पहले से पूर्ण की जा चुकी है।

1. ग्रामीण सड़क सैक्टर–I परियोजना (आरआरएसआईपी)

ऋण संख्या 2018–आईएनडी : एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता हेतु ग्रामीण सड़क सैक्टर–I परियोजना (आरआरएसआईपी) के अन्तर्गत 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया था। 3,207 बसावटों को संपर्क प्रदान करते हुए कुल 9,574.7 कि.मी. बारहमासी ग्रामीण सड़कें निर्मित की थी। परियोजना जून 2009 में सफलतापूर्वक पूर्ण हुई थी। ऋण अनुबंध की आवश्यकतानुसार परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट एडीबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

2. ग्रामीण सड़क सैक्टर II निवेश कार्यक्रम

परियोजना–1 (ऋण संख्या 2248–आईएनडी): एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने असम, ओडिशा एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों में उप परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने हेतु मल्टी ट्रांशे फाइनासिंग फेसिलिटी (एमएफएफ) के अंतर्गत 180 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक ऋण स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत 1,497 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराते हुए कुल 2,507 कि.मी. लम्बी सड़कें निर्मित की गई थी। परियोजना जून 2009 में सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। ऋण अनुबंध की आवश्यकतानुसार परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट एडीबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

परियोजना–2 (ऋण संख्या 2414–आईएनडी): एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने ओडिशा में बैच 2 परियोजना के लिए मल्टी ट्रांशे फाइनासिंग फेसिलिटी (एमएफएफ) के अंतर्गत 77.65 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक ऋण स्वीकृत किया था। इस परियोजना ने ओडिशा में 231 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करते हुए 1,013 कि.मी. सड़क संपर्क उपलब्ध कराया था। ऋण 31 दिसम्बर, 2010 को समाप्त हो गया था। ऋण अनुबंध की आवश्यकतानुसार परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट एडीबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

परियोजना–3 (ऋण संख्या 2445–आईएनडी): असम तथा पश्चिम बंगाल में बैच–।। की उप परियोजना की वित्त व्यवस्था करने हेतु मल्टी ट्रांशे फाइनांसिंग फेसिलिटी (एमएफएफ) के अंतर्गत 130 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया गया। ऋण 5 जनवरी 2009 को एडीबी द्वारा

प्रभावी बनाया गया था। यह परियोजना असम में 985 कि.मी के साथ 607 बसावटों को, तथा पश्चिमी बंगाल में 843 कि.मी के साथ 718 बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करेगी। ऋण के प्रयोग की अंतिम तिथि 30 जून 2013 होगी।

परियोजना–4 (ऋण संख्या 2535) : असम ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल में बैच–III की उप–परियोजनाओं के वित्त प्रबंध हेतु मल्टीट्रांशे वित्त प्रबंध सुविधा के अंतर्गत 185 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया गया। एडीबी ने इस ऋण को 26 नवम्बर, 2009 से प्रभावी बनाया था। इस परियोजना द्वारा असम में 871 कि.मी. सड़क के साथ 397 बसावटों को, ओडिशा में 1,287 कि.मी. सड़क के साथ 517 बसावटों को तथा पश्चिम बंगाल में 660 कि.मी. सड़क के साथ 704 बसावटों को संपर्क प्रदान कराया जा चुका है। ऋण के प्रयोग की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2012 थी।

परियोजना–5 (ऋण संख्या 2651): ओडिशा में बैच IV, मध्य प्रदेश में बैच V पश्चिमी बंगाल बैच III (लॉट II) तथा छत्तीसगढ़ में बैच IV की उप परियोजनाओं के वित्त प्रबंध हेतु मल्टीट्रांशे वित्त प्रबंध सुविधा के अंतर्गत 222.22 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया गया था। एडीबी ने यह ऋण 29 अक्तूबर 2010 से प्रभावी कर दिया था। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में 325 कि.मी. के साथ 142 बसावटों को मध्य प्रदेश में 2,535 कि.मी. के साथ 895 बसावटों को तथा ओडिशा में 1,512 कि.मी. के साथ 428 बसावटों को तथा पश्चिमी बंगाल में 443 कि.मी. के साथ 257 बसावटों को संपर्क प्रदान करेगी। ऋण के प्रयोग की तिथि 30 जून 2014 होगी।

3. ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम (आरसीआईपी):

यूएसडी 800 मिलियन डॉलर के लिए मल्टी ट्रांशे वित्त प्रबंध (एमएफएफ) सुविधा एडीबी, डीईए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य द्वारा 17 मई 2012 को हस्ताक्षरित की गई। निवेश कार्यक्रम के लिए एडीबी वित्तीय सहायता मल्टी ट्रांशे वित्तीय प्रबंधन सुविधा के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम लगभग 9000 कि.मी. बारहमासी सड़कों के निर्माण अथवा उन्नयन के साथ असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में 4200 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान कराएगा। यह कार्यक्रम सांस्थानिक प्रबंधन व्यवसायिक प्रक्रियाओं तथा सम्बद्ध क्षमता निर्माण, विशेषकर डिजाइन, प्रचालन, सुरक्षण, वित्त, सड़क सुरक्षा तथा परिसंपत्ती प्रबंधन मामलों के सुधार पर संकेद्रित होगा।

निवेश कार्यक्रम की वित्त प्रबंधन योजना नीचे दी गई है :

क्र सं	स्त्रोत	राशि
1	एशियन विकास बैंक	800 मिलयन अमरीकी डॉलर
2	भारत तथा राज्य	425.30 मिलयन अमरीकी डॉलर
	कुल	1225.30 मिलयन अमरीकी डॉलर

एमएफएफ तकनीकी सहायता परामर्शदाता तथा ग्रामीण संपर्कता प्रशिक्षण अनुसांधान केन्द्रों (आरसी टीआरसी) परामर्शदाता सहित परामर्शी सेवाओं के लिए दीर्घावधि अनुबंध पैकेजों के निर्धारित समयनुसार तीन परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करेगा।

निर्देशात्मक राशि तथा प्रथम एवं उसके बाद के ट्रांशों की अनुसूची नीचे दी गई है :–

वित्त व्यवस्था	ट्रांशे 1 (मिलि. अमरीकी डॉलर)	ट्रांशे 2 (मिलि. अमरीकी डॉलर)	ट्रांशे 3 (मिलि. अमरीकी डॉलर)
एडीबी	252	275	273
सरकार	89	81.56	80
कुल	341	356.56	353

ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम में सांस्थानिक विकास घटक भी रखे गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क. क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण (प्रयोगशालाएं तथा पायलट ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन यूनिट (आरआरएनएमयू) के लिए कार्यनिष्पादन हेतु अपेक्षित अन्य सुविधाओं सहित) तथा ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपस्कर, प्रणालियां एवं उपकरण उपलब्ध कराना। अंनतिम अनुसूची के अनुसार यह प्रत्याशित है कि दूसरे वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में एक आरआरएनएमयू सुविधा निर्मित की जाएगी तथा निवेश कार्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रत्येक राज्य में लगभग पांच और निर्मित की जाएंगी।

ख. प्रत्येक राज्य में 5 ग्रामीण संपर्कता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र (आरसीटीआरसी) तैयार एवं सज्जित करना।

ग. स्थापित किए गए आरसीटीआरसी तथा सम्बद्ध परामर्शी सेवाओं की सहायता से विधिवत् एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण तथा लक्षित ग्रामीण सड़क अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करना।

घ. आरआरएनएमयू तथा आरसीटीआरसी के निर्माण हेतु सभी राज्यों ने भूमि निर्धारित कर ली है। एडीबी ने आरआरएनएमयू तथा आरसीटीआरसी के लिए संकल्पन डिजाइन तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकार लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकार ने इन यूनिटों के संकल्पन रेखा चित्रों को अंतिम रूप दे दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों ने स्थानीय वास्तुकारों को नियुक्त किया है जिन्होंने वास्तुकला रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए हैं।

(iv) ऋण संख्या 2881—आईएनडी

ग्रामीण सड़क संपर्कता निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रांशे 1 के लिए 252.00 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पर 17 मई 2012 को हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह ऋण कम से कम 500 व्यक्तियों (पहाड़ी एवं मरुस्थल क्षेत्र में 250 अथवा अधिक) की जनंसख्या वाली सभी बसावटों को संपर्कता प्रदान करेगा। उप परियोजनाएं कुल मिलाकर लगभग 3461 कि.मी. (लगभग 342 कि.मी. असम में, 1008 छत्तीसगढ़ में, 1187 कि.मी. मध्य प्रदेश में, 757 कि.मी. ओडिशा में तथा 167 कि.मी. पश्चिमी बंगाल में) कवर करेगी। इन राज्यों में उप परियोजना का प्रापण लगभग पूर्ण होने के चरण में है। यह परियोजना 30 जून 2015 तक पूरी हो जाएगी।

(v) ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक)

500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक) का उद्देश्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में बारहमासी सड़क संपर्क के लिए संपर्कविहीन पात्र बसावटों को संपर्क प्रदान कराने हेतु 7,000 कि.मी बारहमासी ग्रामीण सड़कों का निर्माण अथवा उन्नयन करना तथा पहले से निर्मित सड़कों का उन्नयन कर उन्हें बारहमासी संपर्क के काबिल बनाना है।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल में पीएमजीएसवाई के एक हिस्से को सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त वित्त व्यवस्था पर विचार कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले बड़ी जनसंख्या वाली बसावटों को अग्रता देने तथा धीरे–धीरे छोटी जनसंख्या वाली बसावटों को सम्मिलित करने हेतु एक रणनीति मानक स्थापित किया है।

ग्रामीण संपर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत एडीबी असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं ओडिशा राज्य में सड़कों के निर्माण हेतु पहले से 800 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रस्तावित ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक) आरएसएस–। पी तथा आरएसएस–।। पी की निरंतरता में है; यह ऋण 500 मिलियन अमरीकी डालर का होगा जो कि ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम का अनुपूरक होगा।

500 मिलियन अमरीकी डालर के ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम (अनुपूरक) के लिए प्रस्ताव एवं संकल्पना दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस परियोजना को आर्थिक कार्य विभाग के समक्ष शीघ्र विचारार्थ रखा गया है।

9.3.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

पीएमजीएसवाई को कार्यान्वित करने वाले कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए एनआरआरडीए द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सीआरआरआई नई दिल्ली, आईएएचई, नोएडा (उत्तर प्रदेश) जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में तथा अन्य अधिकारियों के लिए राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास के विभिन्न राज्य संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष 2012–13 के दौरान मार्च 2013 तक 1930 अधिकारियों को एनआरआरडीए द्वारा 2, 3 तथा 6 दिवसों के लिए विकसित किए गए प्रशिक्षण मॉडयूलों के आधार पर एनआरआरडीए द्वारा सम्बद्ध विषयों पर संस्तुत किए गए विशेषज्ञ अध्यापक वर्ग द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान मार्च 2013 तक लगभग 1908 अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013–14 के दौरान राज्यों की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण निष्पादन हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा तद्नुसार प्रशिक्षण प्रक्रिया आरंभ की गई है।

क्र.सं	कार्यक्रम	(2012–2013)
1	एसआईआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य स्तर)	149
2.	एनआईआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य स्तर)	210
3.	आईएएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय स्तर)	387
4.	सीआरआरआई प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय स्तर)	295
5.	विश्व बैंक प्रशिक्षण (राष्ट्रीय स्तर)	374
6.	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला (राष्ट्रीय स्तर)	493
	कुल	**1908**

सड़कों एवं पुलों की डीपीआर की संवीक्षा पर एसटीए के एक बैच का 21 मई 2012 से 26 मई 2012 तक आईएएचई में प्रशिक्षण पूरा हुआ।

10. कार्यशालाएं एवं सम्मेलन

10.1 कार्यशाला एवं अभिविन्यास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.1.1 विश्व बैंक, तकनीकी सहायता (आरआरपी–।।) के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों एवं उनके अभियन्ताओं के साथ परस्पर आदान प्रदान कार्यशाला

विश्व बैंक, तकनीकी सहायता (आरआरपी– ।।) के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों एवं उनके अभियन्ताओं के साथ परस्पर आदान प्रदान पर 3 अक्तूबर 2012 को देहरादून (उत्तराखण्ड) में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

10.1.2 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रापण एवं अनुबंध प्रबंधन पर कार्यशाला

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रापण एवं अनुबंध प्रबंधन पर 4 तथा 5 अक्तूबर 2012 को कार्यशाला आयोजित की गई थी। उपर्युक्त 2 कार्यशालाओं में 15 राज्यों, अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ने अपने ठेकेदारों तथा अभियन्ताओं सहित भाग लिया।

10.1.3 अभिविन्यास–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए नामिकागत राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) के लिए राजमार्ग अभियन्ताओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) में 7 दिसम्बर 2012 को 1 दिवसीय अभिविन्यास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

महानिदेशक, एनआरआरडीए द्वारा उद्घाटित किए गए अभिविन्यास सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का निम्नलिखित उद्देश्य था :

- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत गुणवत्ता मॉनीटरिंग से संबंधित क्रांतिक मुद्दों के विषय में एनक्यूएम को सुग्राही बनाना; तथा
- गुणवत्ता मुद्दों पर रिपोर्ट में प्रेक्षित की गई कमियों के संबंध में एनक्यूएम का मूल्यांकन करना।

कुल 13 सहभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया ।

11. बजट

वित्तीय वर्ष 2012– 2013 के लिए अनुमोदित संशोधित बजट प्राक्कलन तथा इसके प्रति किया गया व्यय परिशिष्ट–XII में दिया गया है। वर्ष के दौरान अथशेष 16.55 करोड़ रूपये था, ब्याज एवं विविध प्राप्तियां रू. 1.25 करोड़ थी तथा मंत्रालय से अनुदान के रूप में 4541.12 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कुल 4,545.17 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

12. लेखा एवं लेखा–परीक्षा

एजेंसी के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्स रावला एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, जिन्हें इस कार्य के लिए रखा गया है द्वारा की गई।

वर्ष 2012–13 के लिए तुलन पत्र, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, प्राप्ति एवं व्यय लेखे के रूप में लेखा–परीक्षित लेखे तथा लेखे से संबंधित नोट क्रमशः संलग्नक XII (क), (ख), (ग), (घ) एवं (च) पर दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियों से 4,545.17 करोड़ रूपए खर्च किए गए। यह खर्च मुख्यतया नबार्ड को अदा किया गया ब्याज (रूपये 827.51 करोड़), नबार्ड से लिए गए ऋण की मूल राशि की चुकौती (रूपये 3,700.00 करोड़), एनआरआरडीए के व्यय हेतु (रूपये 10.44 करोड़) विश्व बैंक परियोजना अर्थात् आरआरपी– II के अंतर्गत तकनीकी सहायता के प्रबंधन हेतु (रूपये 4.93 करोड़), ईएपी घटक एडीबी सहायित परियोजनाओं के लिए (रूपये 0.59 करोड़) तथा एसआरआरडीए/संस्थानों को अग्रिम (रूपये 1.70 करोड़) था।

13. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) तथा राजभाषा नियम 1976 के संबद्ध नियमों में समाविष्ट राजभाषा नीति को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में कार्यान्वित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसके सभी निदेशक सदस्य हैं तथा जिसकी अध्यक्षता एनआरआरडीए के महानिदेशक द्वारा की

जाती है, का गठन 2006 में किया गया था। एजेंसी हिन्दी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति को समय –समय पर मॉनीटर करती है। वर्ष 2012–13 के दौरान समिति की 2 बैठकें हुई। इन समीक्षा बैठकों में दिये गये सुझावों को एजेंसी में कार्यान्वित किया गया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान स्टॉफ को नोटिंग ड्राफ्टिंग व प्रशासनिक शब्दावली का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 2 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 14–28 सितम्बर 2012 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया। इसके दौरान अधिकारियों एवं स्टॉफ के लिए वाद–विवाद तथा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरूस्कार दिये गये। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी 'राजभाषा स्मारिका' को वार्षिक रूप से प्रकाशित करती है। जिसे हिन्दी पखवाड़े के दौरान जारी किया जाता है जिसमें एनआरआरडीए के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने लेख, लघु कहानियां व कविताएं देते हैं। एजेंसी राजभाषा नियम 1976 में अपेक्षित किये अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों से हिन्दी पत्राचार करने के लिए प्रतिबद्ध है व लगभग लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है तथा 'क' के साथ–साथ 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

एन. आर. आर. डी. ए का संगठनात्मक ढांचा

परिशिष्ट–I

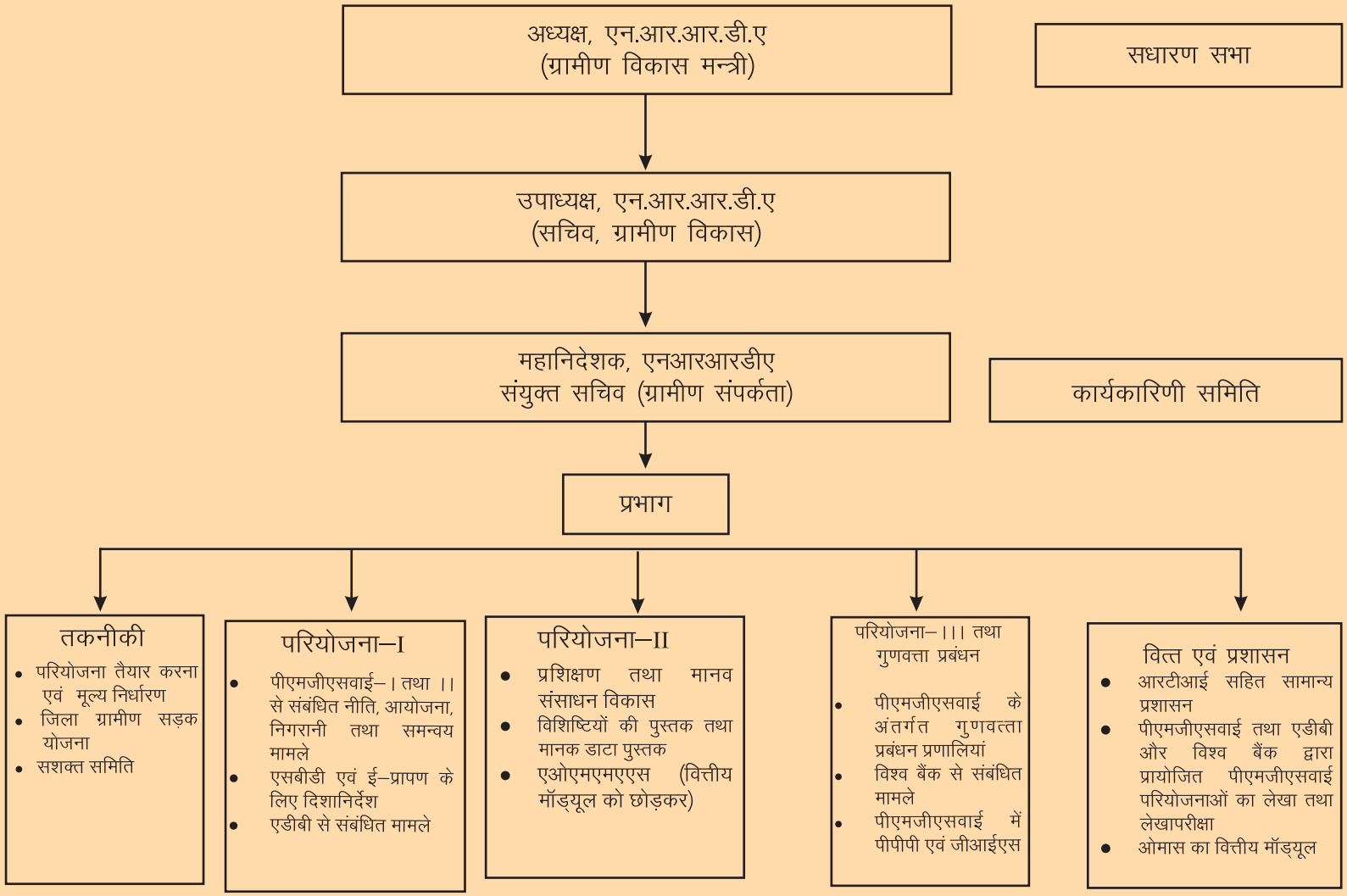

परिशिष्ट–II

प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पी टी ए) की सूची तथा उन्हें आबंटित राज्य

क्र.स.	पी.टी.ए. के नाम	राज्यों के लिए
1.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.), नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	महराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़
5.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान,	राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पिलानी जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
6.	इंजीनियरिंग कॉलेज बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	उत्तर पूर्वी राज्य असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल

परिशिष्ट–III

राज्य तकनीकी एजेंसियों (एस. टी. ए.) की सूची

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
1.	आंध्र प्रदेश	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	वारंगल–506004
		(2) जे. एन. टी. विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली	हैदराबाद – 500072
		(3) यूनीवर्सिटी कॉलेज आफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनीवर्सिटी	हैदराबाद – 500072
		(4) आंध्र प्रदेश यूनीवर्सिटी कॉलेज आफ इंजीनियरिंग	विशाखापटनम – 530003
2.	अरुणाचल प्रदेश	(1) उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	निर्जुली – 791109
		(2) जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	जोरहाट–785007
3.	असम	(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	गुवाहाटी–781039
		(2) असम इंजीनियरिंग कॉलेज, जलुकबाड़ी	गुवाहाटी–781013
4.	बिहार	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	पटना–800005
		(2) मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान	मुजफ्फरपुर–842003
		(3) भागलपुर कॉलेज आफ इंजीनियरिंग	भागलपुर–813210
5.	छत्तीसगढ़	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जी.ई. रोड	रायपुर – 492010
		(2) भिलाई प्रौधोगिकी संस्थान	दुर्ग–491001
6.	गोवा	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	फरमागुडी,पोण्डा–403401

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
7.	गुजरात	एस. वी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	इच्छानाथ, सूरत–395007
8.	हरियाणा	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज	कुरूक्षेत्र – 136119 सैक्टर – 12, चण्डीगढ़–160012
9.	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	हमीरपुर – 177005
10.	जम्मू एवं कश्मीर	(1) एन.आई.टी, श्रीनगर श्रीनगर–190006 (2) राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, जम्मू	जम्मू एंव कश्मीर, जम्मू – 180004
11.	झारखण्ड	(1) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर (3) बी आई टी, सीन्दरी,	मेसरा – 835215 (रांची) पी.ओ.– आर.आई.टी जमशेदपुर–831014 धनबाद – 828123
12.	कर्नाटक	(1) बंगलौर विश्वविद्यालय (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल (3) पी.डी.ए इंजीनियरिंग कॉलेज, गुलबर्गा (4) आई.आर. रास्ता, रोड इंस्टीच्यूट (5) पीईएस इंजिनियरिग कॉलेज (6) राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज	जनाभारती, बंगलौर–560056 पी. ओ.–श्रीनिवासनगर, मंगलौर – 575025 ऐवान–ए–शाही, स्टेशन ऐरिया, गुलबर्गा–585102 बंगलोर–560058, कर्नाटक मंडिया–571401 हसन–573201

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
13.	केरल	(1) इंजीनियरिंग कॉलेज (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	त्रिवेन्द्रम – 695016, कालीकट, केरल
14.	मध्य प्रदेश	(1) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (3) एस.जी.एस प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	भोपाल–462051 जबलपुर–482011, इन्दौर इंदौर–452003
15.	महाराष्ट्र	(1) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (3) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, औरंगाबाद (4) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवाजी नगर,	दक्षिण अम्बाझरीवाद, नागपुर–440011 पोवई, मुम्बई–400076 औरंगाबाद–431005 पुणे – 411005
16.	मणिपुर	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान	सिलचर – 788010 तकाइलपट, इम्फाल
17.	मेघालय	(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2) जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज	गुवाहाटी – 781039 जोरहाट – 785007
18.	मिजोरम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर – 721303
19.	नागालैण्ड	जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज	जोरहाट–785007
20.	ओडिशा	(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राऊरकेला – 769008

क्र. सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
		(2) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज	भुवनेश्वर
		(3) वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	बुरला–768018
		(4) इंदिरा गांधी इंस्टिच्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी, सारंग	सारंग–759146 जिला ढेंकानल, ओडिशा
		(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	भुवनेश्वर
21.	पंजाब	(1) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज	सेक्टर–12, चण्डीगढ़–160012
		(2) पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय ज्ञानी जैलसिंह परिसर	डबवाली रोड, भटिंडा–151001
		(3) थापर इंस्टिच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नॉलॉजी	पटियाला – 147004
22.	राजस्थान	(1) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	जयपुर – 302017
		(2) यूनीवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजस्थान टेक्निकल यूनीवर्सिटी	कोटा – 324010
		(3) बी एम बी इंजीनियरिंग कालेज, जयनारायण व्यास विश्व विद्यालय	जोधपुर – 342011
23.	सिक्किम	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	जलपाईगुडी – 735102
24.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरूचिरापल्ली – 620015
25.	त्रिपुरा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	अगरतला – 799055
26.	उत्तर प्रदेश	(1) एम. एन. एन. आई. टी. इंजीनियरिंग कॉलेज	इलाहाबाद – 211004
		(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रुड़की – 247667

क्र.सं	राज्य	राज्य तकनीकी एजेंसियां	
		(3) कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान	सुल्तानपुर – 228118
		(4) हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान	कानपुर – 208002
		(5) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	सीतापुर रोड, लखनऊ–226021
		(6) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	वाराणसी – 221005
		(7) एम. एम. एम. इंजीनियरिंग कॉलेज	गोरखपुर – 273010
27.	उत्तराखण्ड	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रुड़की – 247667
28.	पश्चिमी बंगाल	(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर – 721302
		(2) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	जलपाईगुड़ी – 735102
		(3) बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनीवर्सिटी शिबपुर	हावड़ा – 711103
		(4) जादवपुर यूनीवर्सिटी	एस.सी मल्लिक रोड, कोलकात्ता –700032
		(5) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	दुर्गापुर–713209

परिशिष्ट-IV

स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे

#	राज्य	2010-11				2011-12					2012-13 (मार्च '13 तक)					
		मूल्य करोड़ों में	सड़कों की संख्या	लम्बाई कि. मी में	बसावाटों की संख्या	मूल्य करोड़ों में	सड़कों की संख्या	लम्बाई कि. मी में	बसावाटों की संख्या	2011-12	मूल्य करोड़ों में	सड़कों की संख्या	लम्बाई कि. मी में	बसावाटों की संख्या	टिप्पणियां	ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वीकृति की तारीख
1	आन्ध्र प्रदेश	626.40	187 सड़कें +298 पुलें	639.01	26						850.40	420 सड़कें + 34 पुलें	1537.57	213	Habs under (P-I) to be	
2	अरूणाचल प्रदेश	461.99	44 सड़कें +51 पुलें	654.98	6						610.80	78 सड़कें + 14 पुलें	901.56	15	reconciled बसावटों की संख्या राज्य-I / I & II	2/22/2013 (फेज-X)
3	असम										820.50	293 सड़कें+ 257 पुलें	688.94	426	बसावटों की संख्या राज्य-I / I & II	29-जून-12 (आरसीआईपी-I) 11-मार्च r-13 (फेज-X)
4	बिहार					948.12	647 सड़कें + 23 पुलें	1899.06	647	25-11-11 (फेज-VIII) 23-01-12 (पुलें)	2439.11	1350 सड़कें + 96 पुलें	3846.12	3617		29-जून-12 (RCIP-I) 11-मार्च-13 (Phase-X)
5	छत्तीसगढ़					502.51	404	1340.24	590	09-05-11 (ADB Bch-IV)	1011.36	734	2378.36	817		22-अगस्त-13 (फेज-IX) 13-मार्च-13 (फेज-XII)
6	गोवा									23-01-12						
7	गुजरात					53.17	46	136.89	49	19-09-11 (फेज-X)	345.38	409	775.11	443		28-अगस्त-2012 (फेज-XI)
8	हरियाणा															
9	हिमाचल प्रदेश					230.46	176	889.22	26	05-10-2011 (RRP-II p-I)						
10	जम्मू एवं कश्मीर	1463.21	470 सड़कें + 24 पुलें	2239.01	487						1774.52	603 सड़कें + 55 पुलें	3494.75	150		20-जुलाई-12 (फेज-VII)
11	झारखण्ड					703.19	540 सड़कें + 50 पुलें	2109.68	889	23-05-11 (WB,LSP,IAP) 02-03-2012	1826.51	1064 सड़कें + 174 पुलें	3537.29	1711		13-दिसम्बर-12 (फेज-27-अप्रैल-12 RRP-II P-I) 15-अक्तूबर-12 (RRP-II

12	कर्नाटक	33.96	24	105.26	0						60.00	41	154.68		सभी उन्नयन	29-जून 2012 (फेज-X)
13	केरल	256.27	220	621.46	0											05-जुलाई-12 (फेज-XII पी-I)
14	मध्य प्रदेश	102.53	57पुलें			1042.69	743	3105.20	925	21-10-11 (IAP) 30-11-11 (RRSIIIP)	3573.63	2705	9373.11	3460		02नव.12 (पी-II) 13मार्च13 (पी-III)
15	महाराष्ट्र	1717.98	1057	6252.72	105						1077.87	158 सड़कें+ 659 पुलें	800.01	179		14-अग.-12 Phase-X) 23-अक.-12 Phase-XI)
16	मणिपुर	231.68	69	736.57	106						254.25	46 सड़कें+ 44 पुलें	425.42	139		24-मई-2012 (फेज-VIII)
17	मेघालय					94.81	18	105.88	26	16-08-11 (WB						
18	मिजोरम									Tr-I)						
19	नागालैण्ड					355.77	56	954.76	0	05-08-2011 (Phase-VIII)						
20	ओंडिशा	402.56	122 सड़कें + 60 पुलें	590.43		2474.10	1567	6195.74	1842	15-11-2011 (IAP-I) 28-11-2011	2445.72	1334	5189.38	1684		21-सित.-13 (IAP-I) 15-फर.-13 (IAP-II)
21	पंजाब					235.36	36	499.36		05-10-2011 (Phase-IX)	658.52	182	1354.70	7	नई संपर्कता तथा उन्नयन	22-मार्च-12 (फेज-X) 25-फर-13 (फेज-XI)
22	राजस्थान					885.81	1076	3602.77	1076	04-10-2011 (Phase-X	1033.00	1256	3564.17	1265		19-जून-12 फेज-X P-III) 11-मार्च-13 फेज-X P-

23	सिक्किम					206.04	80 सड़कें + 15 पुलें	351.89	0	P-I & II) 19-09-11				1265		
24	तमिलनाडु									(Phase-VIII)	1130.10	1298 सड़कें 45 पुलें	3095.77	55	नइ बसावटों की संख्या	26-दिस.-2012 (फेज-VIII)
25	त्रिपुरा					347.67	69 सड़कें + 40 पुलें	369.50	186	13-10-11 (Phase-VIII)						
26	उत्तर प्रदेश	179.95	224	403.27	224	424.88	555	956.88	568	19-10-11 (डब्ल्यूबी)	3147.72	1845 सड़कें 1 पुलें	8230.12	756	नइ बसावटों की संख्या	2-नव.-12 (फेज-IX) 3-दिस.-12 (फेज-X)
27	उत्तराखण्ड	339.04	100 सड़कें + 26 पुलें	981.27	121	71.54	12 सड़कें + 24 पुलें	98.11	16	05-10-2011 (फेज-IX)	471.36	118 सड़कें 8 पुलें	1139.78	37	बसावटों की संख्या राज्य-I / I & II	8-फर.-2013 (फेज-X)
28	पश्चिम बंगाल	717.41	356	1484.53	867	612.34	247	1269.27	514	18-11-11 (फेज-IX)	3483.19	1425	6143.96	2361		7-दिस.-2012 (फेज-X)
	कुल	**6532.97**	**2873** सड़कें + **516** पुले	**14708.51**	**1942**	**9188.46**	**6272** सड़कें + **152** पुलें	**23884.45**	**7354**	18-11-11 (फेज-IX)	**27013.94**	**15359** सड़कें +**1387** पुलें	**56630.79**	**17335**		

परिशिष्ट -V

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संपर्कित की गई बसावटें एवं पूर्ण की गई लम्बाई

क्रसं	राज्य	मार्च 2013 तक संपर्कित की बई बसावटें	मार्च 2013 तक पूर्ण की गई लम्बाई (कि.मी)
1	आन्ध्र प्रदेश	1386	20508.06
2	अरूणाचल प्रदेश	319	3738.82
3	असम	6969	13694.85
4	बिहार	10059	26117.79
5	छत्तीसगढ़	6360	20486.29
6	गोवा	2	158.70
7	गुजरात	2530	7768.31
8	हरियाणा	1	4553.65
9	हिमाचल प्रदेश	1872	10025.46
10	जम्मू एवं कश्मीर	1162	4294.87
11	झारखण्ड	3909	8522.02
12	कर्नाटक	269	15926.81
13	केरल	365	1596.65
14	मध्य प्रदेश	11546	52199.03
15	महाराष्ट्र	1178	21997.43
16	मणिपुर	289	3388.03
17	मेघालय	156	1032.20
18	मिजोरम	136	2196.28
19	नागालैण्ड	90	2758.37
20	ओडिशा	7085	25481.91
21	पंजाब	407	4759.90
22	राजस्थान	11045	50757.36

क्रसं	राज्य	मार्च 2013 तक संपर्कित की बई बसावटें	मार्च 2013 तक पूर्ण की गई लम्बाई (कि.मी)
23	सिक्किम	**191**	**2449.90**
24	तमिलनाडु	**1934**	**9952.15**
25	त्रिपुरा	**1535**	**2579.59**
26	उत्तर प्रदेश	**11129**	**40106.57**
27	उत्तराखण्ड	**673**	**4526.02**
28	पश्चिम बंगाल	**8681**	**13017.21**
	कुल	**91278**	**374594.23**
	संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र	**0**	**0**
30	दादर एवं नगर हवेली	**0**	**0**
31	दमन एवं दीव	**0**	**0**
32	दिल्ली	**0**	**0**
33	लक्ष्यद्वीप	**0**	**0**
34	पुडुचैरी	**0**	**68.53**
	कुल योग	**91278**	**374662.76**

परिशिष्ट-VI

पीएमजीएसवाई की उपलब्धियां 2012–13

क्रसं	राज्य	मार्च 2013 तक संपर्कित की बई बसावटें	मार्च 2013 तक पूर्ण की गई लम्बाई (कि.मी)
1	आन्ध्र प्रदेश	32	400.35
2	अरूणाचल प्रदेश	24	393.67
3	असम	356	1456.16
4	बिहार	2616	6341.63
5	छत्तीसगढ़	221	1024.08
6	गोवा	0	0.00
7	गुजरात	68	180.47
8	हरियाणा	0	69.26
9	हिमाचल प्रदेश	0	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	178	1411.10
11	झारखण्ड	759	1236.74
12	कर्नाटक	0	386.02
13	केरल	3	108.71
14	मध्य प्रदेश	645	2754.18
15	महाराष्ट्र	58	649.54
16	मणिपुर	52	424.48
17	मेघालय	9	22.77
18	मिजोरम	5	93.20
19	नागालैण्ड	0	93.50
20	ओडिशा	435	2401.26
21	पंजाब	1	325.54
22	राजस्थान	607	2140.00
23	सिक्किम	25	48.44
24	तमिलनाडु	0	42.39

क्रसं	राज्य	मार्च 2013 तक संपर्कित की बई बसावटें	मार्च 2013 तक पूर्ण की गई लम्बाई (कि.मी)
25	त्रिपुरा	110	241.92
26	उत्तर प्रदेश	0	269.78
27	उत्तराखण्ड	24	474.43
28	पश्चिम बंगाल	636	1171.67
	कुल	6864	24161.29
	संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र	0	0
30	दादर एवं नगर हवेली	0	0
31	दमन एवं दीव	0	0
32	दिल्ली	0	0
33	लक्ष्यद्वीप	0	0
34	पुडुचैरी	0	0
	कुल योग	6864	24161.29

परिशिष्ट-VII

राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए किए गए निरीक्षणों का राज्यवार सार

क्रसं	राज्य	कुल निरीक्षण	श्रेणी									
			पूर्ण किए गए कार्य					चल रहे कार्य				
			कुल	स	एसआरआई	अ	अ%	कुल	स	एसआरआई	अ	अ%
1	आन्ध्र प्रदेश	980	594	473	111	10	2%	386	103	248	35	9%
2	अरूणाचल प्रदेश	356	57	32	20	5	9%	299	128	143	28	9%
3	असम	2320	516	365	70	81	16%	1804	1008	453	343	19%
4	बिहार	2193	137	91	39	7	5%	2056	464	1303	289	14%
5	छत्तीसगढ़	1028	117	107	6	4	3%	911	705	122	84	9%
6	गोवा	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
7	गुजरात	670	587	520	64	3	1%	83	76	6	1	1%
8	हरियाणा	564	62	56	6	0	0%	502	168	286	48	10%
9	हिमाचल प्रदेश	84	19	19	0	0	0%	65	64	1	0	0%
10	जम्मू एवं कश्मीर	2209	408	390	8	10	2%	1801	1623	144	34	2%
11	झारखण्ड	1087	95	76	16	3	3%	992	537	446	9	1%
12	कर्नाटक	580	353	345	7	1	0%	227	203	18	6	3%
13	केरल	36	3	2	1	0	0%	33	8	13	12	36%
14	मध्य प्रदेश	53	5	3	2	0	0%	48	12	28	8	17%
15	महाराष्ट्र	947	322	302	16	4	1%	625	375	215	35	6%
16	मणिपुर	378	149	149	0	0	0%	229	202	22	5	2%
17	मेघालय	3278	277	268	6	3	1%	3001	2847	126	28	1%

18	मिजोरम	71	23	10	12	1	4%	48	11	26	11	23%
19	नगालैण्ड	51	24	7	10	7	29%	27	1	16	10	37%
20	ओडिशा	3682	1503	1367	109	27	2%	2179	1401	528	250	11%
21	पंजाब	141	3	3	0	0	0%	138	83	55	0	0%
22	राजस्थान	1177	75	61	11	3	4%	1102	905	179	18	2%
23	सिक्किम	51	22	14	8	0	0%	29	2	12	15	52%
24	तमिलनाडु	288	154	144	5	5	3%	134	122	10	2	1%
25	त्रिपुरा	461	176	115	38	23	13%	285	85	113	87	31%
26	उत्तर प्रदेश	681	218	152	58	8	4%	463	228	192	43	9%
27	उत्तराखण्ड	319	56	50	6	0	0%	263	85	152	26	10%
28	पश्चिम बंगाल	1040	254	248	3	3	1%	786	507	210	69	9%
	कुल योग	**24725**	**6209**	**5369**	**632**	**208**	**3%**	**18516**	**11953**	**5067**	**1496**	**8%**
संघ राज्य क्षेत्र												
29	अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
30	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
31	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
32	दिल्ली	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
33	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
34	पुडुचैरी	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
	कुल योग	**24725**	**6209**	**5369**	**632**	**208**	**3%**	**18516**	**11953**	**5067**	**1496**	**8%**

स–संतोषजनक,एसआरआई–संतोषजनक किन्तु सुधार अपेक्षित, अ–असंतोषजनक

राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए किए गए निरीक्षणों का राज्यवार सार

क्र.सं	राज्य	कुल निरीक्षण	श्रेणी									
			पूर्ण किए गए कार्य					चल रहे कार्य				
			कुल	स	एसआरआई	अ	अ%	कुल	स	एसआरआई	अ	अ%
1	आन्ध्र प्रदेश	45	19	13	6	0	0%	26	13	13	0	0%
2	अरूणाचल प्रदेश	69	8	4	1	3	38%	61	17	26	18	30%
3	असम	172	25	15	1	9	36%	147	59	39	49	33%
4	बिहार	342	38	26	6	6	16%	304	92	135	77	25%
5	छत्तीसगढ़	143	25	13	4	8	32%	118	57	26	35	30%
6	गोवा	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
7	गुजरात	12	2	2	0	0	0%	10	9	1	0	0%
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
9	हिमाचल प्रदेश	88	12	8	3	1	8%	76	28	41	7	9%
10	जम्मू एवं कश्मीर	91	5	2	1	2	40%	86	36	39	11	13%
11	झारखण्ड	170	40	33	6	1	2%	130	36	63	31	24%
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
13	केरल	11	2	2	0	0	0%	9	4	2	3	33%
14	मध्य प्रदेश	302	60	40	14	6	10%	242	144	59	39	16%
15	महाराष्ट्र	99	34	25	6	3	9%	65	25	25	15	23%
16	मणिपुर	16	6	4	1	1	17%	10	4	3	3	30%
17	मेघालय	15	2	0	0	2	100%	13	0	10	3	23%
18	मिजोरम	28	14	9	5	0	0%	14	3	7	4	29%
19	नागालैण्ड	4	0	0	0	0	0%	4	0	1	3	75%
20	ओडिशा	299	63	45	13	5	8%	236	94	79	63	27%

21	पंजाब	110	3	3	0	0	0%	107	97	10	0	0%
22	राजस्थान	124	36	30	5	1	3%	88	35	45	8	9%
23	सिक्किम	22	6	0	6	0	0%	16	3	12	1	6%
24	तमिलनाडु	6	6	2	2	2	33%	0	0	0	0	0%
25	त्रिपुरा	32	7	5	0	2	29%	25	6	5	14	56%
26	उत्तर प्रदेश	81	31	18	8	5	16%	50	29	10	11	22%
27	उत्तराखण्ड	62	14	9	4	1	7%	48	15	21	12	25%
28	पश्चिम बंगाल	196	36	17	7	12	33%	160	45	68	47	29%
	राज्य कुल	**2539**	**494**	**325**	**99**	**70**	**14%**	**2045**	**851**	**740**	**454**	**22%**
संघ राज्य क्षेत्र												
29	अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
30	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
31	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
32	दिल्ली	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
33	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
34	पुडुचैरी	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
	कुल योग	**2539**	**494**	**325**	**99**	**70**	**14%**	**2045**	**851**	**740**	**454**	**22%**

स–संतोषजनक,एसआरआई–संतोषजनक किन्तु सुधार अपेक्षित, अ–असंतोषजनक

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए), नई दिल्ली

के लिए

आरएफडी

परिणाम–ढांचा कार्य दस्तावेज

(2012–13)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के महानिदेशक के निष्पादन दायित्व एवं वचनबद्धता

एनआरआरडीए के महानिदेशक निम्नलिखित कार्यों को करते हैं।

1. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एक प्रभावी कार्य योजना के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निवेश उपलब्ध कराना।

2. यह सुनिश्चित करना कि एनआरआरडीए की कार्य योजना सामान्य रूप से घोषित नीतियों, पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों तथा सरकार की प्रतिबद्धताओं एवं विशेषकर ग्रामीण संपर्कता प्रभाग के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार है।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्बाध एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित बजट परिव्ययों को प्राप्त करने हेतु बजट संबंधी चर्चाओं के मामलों में निवेश उपलब्ध कराना।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति एवं अन्य समितियों की अनुबंधित समय बिन्दुओं पर बैठकें कराना तथा उनके निर्णयों एवं समीक्षाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

5. पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए एसआरआरडीए के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखना तथा उन्हें अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करना।

6. विभिन्न क्षेत्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मंचों में लिए गए निर्णयों को, जहां तक वह पीएमजीएसवाई /एनआरआरडीए से सम्बद्ध हैं, को कार्यान्वित करना।

7. ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धियां की निरन्तर समीक्षा करना एवं कमियों को दूर करने हेतु अनुवर्ति कार्रवाई करना।

खण्ड – I

संगठन का दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्य तथा कार्य

दृष्टिक्षेत्र

ग्रामीण भारत की सतत एवं सम्मिलित वृद्धि के लिए ग्रामीण संपर्कता

लक्ष्य

ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए एक बहु भुजीय रणनीति के माध्यम से ग्रामीण भारत की सतत एवं सम्मिलित वृद्धि; जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाने के लिए बारहमासी संपर्कता का प्रावधान, रोजगार के अवसरों में बढ़ौतरी तथा ग्रामीण भारत के जीवन स्तर में वृद्धि एवं सुधार के लिए अवसंरचनाओं का विकास करना शामिल है।

उद्देश्य

- मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति (अनुसूची–V), मरुस्थल (डीडीपी) क्षेत्रों तथा एलडब्ल्यूई/आईएपी जिलों में 250 एवं अथवा अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान कराना।

- 1000 अथवा अधिक (पहाड़ी राज्यों, जनजाति एवं मरुस्थल क्षेत्रों में 500 अथवा अधिक) की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को मार्च 2012 तक बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान कराना (भारत निर्माण के अंतर्गत)।

- खेत से मार्किट तक पूर्ण संपर्कता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए पात्र वर्तमान थ्रू रूटों तथा मुख्य ग्रामीण संपर्क रूटों का उन्नयन करना।

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना/ग्रामीण विकास मंत्रालय को निम्नलिखित पर प्रचालन एवं प्रबंध सहायता प्रदान करना :

- डिजाइन तथा विनिर्देशन एवं लागत प्रतिमानक

- तकनीकी एजेंसियां

- जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं एवं कोर नेटवर्क

- परियोजना प्रस्तावों की सर्वीक्षा
- गुणवत्ता मॉनीटरिंग
- ऑनलाइन मॉनीटरिंग सहित प्रगति की मॉनीटरिंग
- अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी)
- पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन में लगे कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण
- संचार
- लाभग्राहियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में अधिक से अधिक जोड़ना
- निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कुशल एवं प्रभावी आईसीटी समर्थित वितीय प्रबंधन।

एनआरआरडीए के कार्य

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय की विस्तृत नीतियों/दिशानिर्देशों एवं बजटीय स्त्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए पीएमजीएसवाई के प्रभावी तथा इष्टतम परिणामोन्मुख कार्यान्वयन के लिए समुचित कार्य योजना तैयार करने हेतु ग्रमीण विकास मंत्रालय को निवेश उपलब्ध कराना।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचार हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा।

3. राज्य ग्रामीण विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) से सम्बद्ध मामलों पर विचार करना, विशेषकर पूर्ण करने की समय सीमा के संदर्भ में सड़क कार्य की प्रगति मानीटर करना, तकनीकी विनिर्देशनों, परियोजना मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण विधियां, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया गया व्यय, ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण के लिए योजना तथा अन्य उपयोगी पेड़ों को लगाने आदि का कार्य देखना। पीएमजीएसवाई की आवधिक संवीक्षा के लिए निष्पादन समीक्षा समिति/क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करना तथा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की गई सड़क कार्यों की प्रगति के संबंध में मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें भेजना।

4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के समाभीरूप प्रभावी एवं सार्थक कार्यान्वयन के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों, अन्य मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय निकायों (एडीबी, डब्ल्यूबी, पीआईएआरसी आदि) के साथ विचारों का आदान–प्रदान करना।

5. मंत्रालय से पीएमजीएसवाई के लिए समुचित बजटीय सहायता मांगना।

6. अध्ययन एवं अनुसंधान गतिविधियां तथा पाइलट परियोजनाएं आदि चलाना और ग्रामीण सड़कों के संबंध में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना तथा पुलों एवं पुलियों सहित ग्रामीण सड़कों के समुचित डिजाइन एवं विनिर्देशनों पर परामर्श देना व ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता एवं लागत प्रतिमानकों में सुधार लाना।

7. प्रसिद्ध तकनीकी संस्थानों को प्रधान तकनीकी एजेंसियों एवं राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त करना ताकि उनको सौंपें गए कार्य निष्पादित हो सकें तथा उनके निष्पादन की समीक्षा करने हेतु ग्रामीण सड़कों में अनुभव रखने वाले सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अभियन्ताओं, विद्याविदों, प्रशासकों एवं अन्य एजेंसियों को नियुक्त करना।

8. मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए सड़क कार्यों, जो कि राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं का स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटरों से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कराना।

9. ग्रामीण सड़क कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ताओं के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना; ग्रामीण सड़क के संबंध में होने वाली कार्यशालाओं एवं सम्मलेनों का आयोजन करना अथवा उनके लिए प्रायोजित करना तथा पीएमजीएवाई के संबंध में पुस्तकें व साहित्य प्रकाशित करना तथा दृश्य–श्रव्य विज्ञापन सामग्री का मुद्रण कराना।

10. पीएमजीएसवाई के लेखा एवं वित्तीय प्रंबधन के मामलों में राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करना, एसआरआरडीए द्वारा रखे गए लेखों का संकलन एवं लेखा परीक्षा को मॉनीटर करना व अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर उनकी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा करना।

11. नबार्ड को समय पर ऋण की मूल राशि चुकता करना एवं ब्याज का भुगतान करना।

12. नियुक्त एजेंसी (सी–डेक) के माध्यम से ओमास का रखरखाव एवं उन्नयन करना तथा एसआरआरडीए द्वारा लेखों के ऑनलाइन जनरेशन सहित ओमास को अद्यतन करने के संबंध में एसआरआरडीए द्वारा की गई प्रगति को मॉनीटर करना तथा निधियां जारी करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

खण्ड–2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों तथा लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकताएं

सारणी 1 परिणाम ढांचा कार्य दस्तावेज (आरएफडी)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदण्ड लागत					
						उत्तम (100%) उत्तम (100%)	बहुत अच्छा (90%) बहुत अच्छा (90%)	अच्छा (80%) अच्छा (80%)	मध्यम (70%) मध्यम (70%)	खराब (60%) खराब (60%)	छमाही उपलब्धी उपलब्धि % (लक्ष्य लागत)
1. परियोजनाओं की स्वीकृति	0.30	1.1 निम्नलिखित के संबंध में एसआरआरडीए से प्राप्त डीपीआर की संवीक्षा (i) पात्र बसावटों को नई संपर्कता (ii) पात्र सड़कों का उन्नयन	लिया गया औसत समय: क. राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत डीपीआर पर टिप्पणियों के लिए ख. संवीक्षा के दौरान एनआरआरडीए द्वारा किए गए प्रेक्षणों पर राज्यों की ओर से पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के पश्चात 20 दिनों के अंदर सशक्त समिति को प्रस्तुत की जाएगी।	दिन	0.30	20	22	24	26	28	22 दिन (90)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदण्ड लागत					
						उत्तम (100%) उत्तम (100%)	बहुत अच्छा (90%) बहुत अच्छा (90%)	अच्छा (80%) अच्छा (80%)	मध्यम (70%) मध्यम (70%)	खराब (60%) खराब (60%)	छमाही उपलब्धी उपलब्धि % (लक्ष्य लागत)
2.गुणवत्ता आश्वासन	0.30	2.1 एनक्यूएम द्वारा गुणवत्ता मॉनीटरिंग निरीक्षण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	संख्या	0.30	4,300	3,870	3,440	3,010	2,080	2504 (70)
3. एनआरआरडीए का दक्ष एवं प्रभावी प्रशासन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आईसीटी समर्थित वित्तीय प्रबंधन	0.19	**3.1** साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिती की बैठकें कराना	एनआरआरडीए के नियमों में निर्धारित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या (जीबी + ईसी)	0.05	+23	2+2	1+3	1+2	1+1	1+1 (60)
		3.2 एनआरआरडीए तथा एसआरआरडीए के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना	एसआरआरडीए/एन आरआरडीए द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने का %	%	0.03	100	90	80	70	60	28 मे से 11 एसआरआरडीए ने प्रस्तुत किए(70)
		A. **3.3** नबार्ड को ऋण की चुकौती तथा ब्याज का भुगतान	नबार्ड के साथ किए गए ज्ञापन समझौते में निर्धारित अनुसूची के अनुसार भुगतान	(भुगतान में विलम्ब) दिन	0.03	0	1	2	3	>3	100

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदण्ड लागत					
						उत्तम (100%) उत्तम (100%)	बहुत अच्छा (90%) बहुत अच्छा (90%)	अच्छा (80%) अच्छा (80%)	मध्यम (70%) मध्यम (70%)	खराब (60%) खराब (60%)	छमाही उपलब्धी उपलब्धी % (लक्ष्य लागत)
		B. **3.4** सीएजी/राज्य एजी के लेखा परीक्षा पैरे पर एटीएन	एटीएन प्रस्तुत करने वाले एसआरआरडीए/एन आरआरडीए का %	%	0.03	70	60	50	40	30	100
		C. **3.5** ओएमएमएएस	एनआरआरडीए/एस आरआरडीए द्वारा ओमास पर लेखे प्रस्तुत करना	(ऑनलाइन लेखे दर्शाने वाले राज्य) %	0.05	80-100	70-80	60-70	50-60	40-50	60
4. सेवोत्तम अनुपालन/सीपी जीआरएएमएस	0.09	4.1 नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) और	राज्यों द्वारा सीसीसी तैयार करना	(राज्यों का) %	0.05	80-100	70-80	60-70	50-60	40-50	60
		4.2 सी पीजीआरएएमएस शिकायतों का निपटारा	शिकायतों का समय पर निपटारा	निपटारा न की गई शिकायतों की समयअवधि	0.04	< 2 महीने	<3 महीने	<6 महीने	<9 महीने	<1 वर्ष	80

कुल भार 70 **%**

खण्ड–3

तालिका – 2 सफलता सूचकों के लिए प्रवृति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	वित्त वर्ष (10-11) के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष (11-12) के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्त वर्ष (12-13) के लिए लक्ष्य मूल्य	वर्ष (13-14) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य	वर्ष (14-15) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य
1. परियोजनाओं की स्वीकृति	1.1 निम्नलिखित के संबंध में एसआरआरडीए से प्राप्त डीपीआर की संवीक्षा (i) पात्र बसावटों को नई संपर्कता (ii) पात्र सड़कों का उन्नयन	लिया गया औसत समय: क. राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत डीपीआर पर टिप्पणियों के लिए ख. संवीक्षा के दौरान एनआरआरडीए द्वारा किए गए प्रेक्षणों पर राज्यों की ओर से पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के पश्चात 20 दिनों के अंदर सशक्त समिति को प्रस्तुत की जाएगी।	दिन	0.30	20	20	15	15	15

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	वित्त वर्ष (10-11) के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष (11-12) के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्त वर्ष (12-13) के लिए लक्ष्य मूल्य	वर्ष (13-14) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य	वर्ष (14-15) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य
2.गुणवत्ता आश्वासन	2.1 एनक्यूएम द्वारा गुणवत्ता मॉनीटरिंग निरीक्षण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	संख्या.	0.30	4389	4,300	4,300	4,300	4,300
3.निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करने वाला दक्ष एवं प्रभावी आईसीटी समर्थ वित्तीय प्रबंधन	**3.1** साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिती की बैठकें कराना	एनआरआरडीए के नियमों में निर्धारित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या (जीबी + ईसी)	0.05	1+3*	2+2*	2+6*	2+6*	2+6*
	3.2 एनआरआरडीए तथा एसआरआर डीए के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना	एसआरआरडीए/एनआर आरडीए द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने का	%	0.03	93	95	100	100	0

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	वित्त वर्ष (10-11) के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष (11-12) के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्त वर्ष (12-13) के लिए लक्ष्य मूल्य	वर्ष (13-14) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य	वर्ष (14-15) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य
	3.3 नबार्ड को ऋण की चुकौती तथा ब्याज का भुगतान	नबार्ड के साथ किए गए ज्ञापन समझौते में निर्धारित अनुसूची के अनुसार भुगतान	(भुगतान में विलम्ब) दिन	0.03	0	0	0	0	0
	3.4 सीएजी/राज्य एजी के लेखा परीक्षा पैरे पर एटीएन	एटीएन प्रस्तुत करने वाले एसआरआरडीए/एनआरआरडीए का %	%	0.03	*	*	60*	70*	70*
	3.5 ओएमएमएएस	एनआरआरडीए/एसआरआरडीए द्वारा ओमास पर लेखे प्रस्तुत करना	(ऑनलाइन लेखे दर्शाने वाले राज्य) %	0.05	3 (राज्यों की संख्या के विषय में आरएफडी 2010–11 में निर्धारित किए गए लक्ष्य)	4 (राज्यों की संख्या के विषय में आरएफडी 2011–12 में निर्धारित किए गए लक्ष्य)	80	90	100

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	वित्त वर्ष (10-11) के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष (11-12) के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्त वर्ष (12-13) के लिए लक्ष्य मूल्य	वर्ष (13-14) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य	वर्ष (14-15) के लिए प्रक्षिप्त मूल्य
	4.1 नागरिक / ग्राहक चार्टर (सीसीसी) और	राज्यों द्वारा सीसीसी तैयार करना	(राज्यों का) %	0.05	परिचय	एनआरआरडीए लक्ष्य(*)	80*	90*	100*
	4.2 सी पीजीआरएएमएस शिकायतों का निपटारा	शिकायतों का समय पर निपटारा	निपटारा न की गई शिकायतों की समयअवधि	0.04	परिचय	< 2 महीने *	< 2 महीने	< 2 महीने	< 2महीने

अनिवार्य सफलता सूचक

क्र.सं	उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/ मानदण्ड लागत				
						उत्तम (100%)	बहुत अच्छा (90%)	अच्छा (80%)	मध्यम (70%)	खराब (60%)
5.	आरएफडी प्रणाली का कार्यकुशल ढंग से काम करना	5.1 वर्ष 2012–13 के लिए समय पर आरएफडी प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	2%	अप्रैल 16,2012	अप्रैल 17,2012	अप्रैल 18,2012	अप्रैल 19,2012	अप्रैल 20,2012
		5.2 वर्ष 2012–13 के लिए समय पर परिणाम प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	1%	मई 1,2013	मई 8,2013	मई 15,2013	मई 22,2013	मई 29,2013
6.	प्रशासनिक सुधार	6.1 आईएसओ : 9001 कार्यान्वित करें	आईएसओ: 9001 कार्य योजना तैयार करें	दिनांक	1%	मई 1,2013	मई 2,2013	मई 3,2013	मई 4,2013	मई 5,2013
			आईएसओ:9001 कार्य योजना का कार्यान्वयन	%	2%	मार्च 25,2013	मार्च 26,2013	मार्च 27,2013	मार्च 28,2013	मार्च 29,2013

क्र.सं	उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	भार	लक्ष्य/ मानदण्ड लागत				
						उत्तम (100%)	बहुत अच्छा (90%)	अच्छा (80%)	मध्यम (70%)	खराब (60%)
		6.2 भ्रष्टाचार के संभावित खतरों को कम करने के लिए न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का %	%	2%	100	95	90	85	80
7.	एनआरआरडीए की आंतरिक कार्यकुशलता/ प्रतिक्रियाशिलता/ सेवा पूर्ति में सुधार	7.1 सेवोतम का कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र जांच	दिनांक	2%	अक्तूबर 2012	दिसम्बर 2012	जनवरी 2013	फरवरी 2013	मार्च 2013
			जन शिकायत प्रणाली लागू करने की स्वतंत्र जांच	दिनांक	2%	अक्तूबर 2012	दिसम्बर 2012	जनवरी 2013	फरवरी 2013	मार्च 2013

खण्ड–4

सफलता सूचकों का विवरण एवं परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन प्रणाली

1. **परियोजनाओं की स्वीकृति** – राज्यों से प्राप्त किए गए परियोजना प्रस्तावों पर केन्द्रीय स्तर पर सशक्त समिति, जिसकी अध्यक्षता सचिव ग्रामीण विकास विभाग करेंगे द्वारा विचार किया जाएगा। उस राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को, जिसके प्रस्तावों पर सशक्त समिति विचार कर रही है जब भी आवश्यक होगा बैठकों में उपस्थित होने हेतु बुलाया जा सकता है। सशक्त समिति की सिफारिशें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम की अपेक्षाएं पूरी करते हैं तो उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। मंत्रालय प्रस्तावों की स्वीकृति के विषय में राज्य सरकारों को सूचित करेगा।

2. **गुणवत्ता आश्वासन** – एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन उपलब्ध कराया गया है जिसमें से प्रथम दो स्तर राज्य सरकारों द्वारा देखे जाते हैं।

- प्रथम स्तर निष्पादक एजेंसियों के स्तर पर इनहाउस गुणवत्ता नियन्त्रण है।
- द्वितीय स्तर राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) द्वारा गुणवत्ता मॉनीटरिंग है।
- तृतीय स्तर स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटीरों (एनक्यूएम) द्वारा गुणवत्ता मॉनीटरिंग है।

3. कार्यकुशल एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन

3.1 **साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकें** – यह सूचक एनआआरडीए के नियमों में निर्धारित किए अनुसार होने वाली बैठकों की संख्या का ध्यान रखेगा।

3.2 **एनआरआरडीए/एसआरआरडीए द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों का प्रस्तुतिकरण** – यह सूचक एसआरआरडीए द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने के लिए एसआरआरडीए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कार्य निष्पादन का ध्यान रखेगा।

3.3 **नबार्ड को ऋण की चुकौती एवं ब्याज का भुगतान** – यह सूचक नबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन में निर्धारित समय सारणी के अनुसार नबार्ड को ब्याज के भुगतान तथा मूल राशि की चुकौती का ध्यान रखेगा।

3.4 **सीएजी पर एटीएन/राज्य एजी लेखा परीक्षा पैरे–यह सूचक एसआरआरडीए/एनआरअराडीए द्वारा सीएजी/राज्य एजी लेखा परिक्षित पैरों पर प्रस्तुत किए गए एटीएन को देखेगा।**

3.5 ओमास – यह सूचक राज्यों द्वारा लेखों के हस्तचालित संकलन को ऑन लाइन अनुरक्षित करने तथा लेखे तैयार करने का मूल्यांकन करेगा।

4. सेवोत्तम अनुपालन/सीपीजीआरएएमएस

नागरिक/ग्राहक चार्टर – यह सूचक एनआरआरडीए एवं राज्यों द्वारा समय पर नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार करने का मूल्यांकन करेगा।

सीपीजीआरएएमएस शिकायत निपटारा – यह सूचक सीपीजीआरएएसएस पोर्टल पर प्राप्त हुई जन शिकायतों के समय पर निपटारे का मूल्यांकन करेगा।

खण्ड–5

ग्रामीण विकास मंत्रालय/एसआरआरडीए से विशिष्ट निष्पादन अपेक्षा

विभाग जिनसे सहायता की आवश्यकता है	विशिष्ट निष्पादन अपेक्षा
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहायत अनुदान
राज्य सरकारें	समय पर प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टें, लेखा परीक्षा आपत्तियों के अनुपालन में लेखा परीक्षित लेखे एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्रों को समय पर प्रस्तुत करना, कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन
पंचायती राज संस्थान	ग्रामीण सड़कों का जिला कोर नेटवर्क तैयार करना
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	बाहरी एजेंसियों (विश्व बैंक एवं एशियन विकास बैंक) से सहायता का संग्रहण
योजना आयोग	योजना नियतन का अनुमोदन
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	राज्यों को पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु जारी करने के लिए नाबार्ड द्वारा एनआरआरडीए को ऋण सहायता
सड़क परिवहन तथा राज मार्ग मंत्रालय	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पीएमजीएसवाई परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सशक्त समिति का सदस्य है
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई)	उनकी गतिविधियों (प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि) में सहभागिता
भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी)	आईआरसी का अध्यक्ष एनआरआरडीए की साधारण सभा का सदस्य है
अंतराष्ट्रीय सड़क संघ (आईआरएफ)	भारत एवं विदेश में ग्रामीण सड़कों से संबद्ध गतिविधियों तथा कार्यशालाओं में सहभागिता

खण्ड–6

संगठन की गतिविधियों का परिणाम/प्रभाव

#	संगठन का परिणाम/प्रभाव	निम्नलिखित संगठनों/विभागों/मंत्रालयों के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी	सफलता सूचक	ईकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	परियोजनाओं की स्वीकृति	ग्रामीण विकास मंत्रालय का आरसी प्रभाग/सशक्त समिति	लिया गया औसत समयः क. राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत डीपीआर पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु। ख़ एनआरआरडीए द्वारा संवीक्षा के दौरान किए गए प्रेक्षणों पर राज्यों की ओर से पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के पश्चात् सशक्त समिति को प्रस्तुत की जाएंगी 20 दिन के अंदर	दिन	20	20	15	15	15

#	संगठन का परिणाम / प्रभाव	निम्नलिखित संगठनों / विभागों / मंत्रालयों के साथ इस परिणाम / प्रभाव को प्रभावित करने हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी	सफलता सूचक	ईकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
2.	गुणवत्ता आश्वासन	ग्रामीण विकास मंत्रालय (आरसी प्रभाग)	एनक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या (सं.)	सं.	4,389	4,300	4,300	4,300	4,300
3.	एनआरआरडीए का दक्ष एवं प्रभावी प्रशासन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करने वाला दक्ष एवं प्रभावी आईसीटी समर्थ वित्तीय प्रबंधन	एसआरआरडीए एवं एनआरआरडीए के सभी प्रभाग	एनआरआरडीए के नियमों में निर्धारित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या (जीबी +ईसी)	1+3*	2+2*	2+6*	2+6*	2+6*
			विधिवत लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने वाले एस्आरआरडीए / एनआरआरडीए का %	%	93	95	100	100	0
			नबार्ड के साथ व समझौता ज्ञापन में निर्धारित समय सारणी के अनुसार भुगतान	(भुगतान में विलम्ब) दिन	0	0	0	0	0
			एटीएन प्रस्तुत करने वाले एसआरआरडीए / एनआरआरडीए का %	%	*	*	60*	70*	70*

#	संगठन का परिणाम / प्रभाव	निम्नलिखित संगठनों / विभागों / मंत्रालयों के साथ इस परिणाम / प्रभाव को प्रभावित करने हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी	सफलता सूचक	ईकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
			एनआरआरडीए / एसआरआरडीए द्वारा ओमास पर प्रस्तुत किए गए लेखे	(ऑन लाइन लेखे प्रस्तुत करने वाले राज्य) %	(आरएफडी 2010–11 में निर्धारित लक्ष्य) 3	(आरएफडी में निर्धारित लक्ष्य) 4	80	90	100
4.	**4** सेवोत्तम अनुपालन / सीपीजी आरएएमएस	4.1 एसआरआरडीए तथा एनआरआरडीए के सभी प्रभाग	राज्यों द्वारा सीसीसी तैयार करना	(राज्यों का) %	0.05	परिचय	एनआरआरडीए लक्ष्य (*)	80*	90*
			शिकायतों का समय पर निपटारा	दूर न की गई शिकायतों की समयावधि	आरंभ किया	< 2 महीना*	< 2 महीने	< 2 महीने	< 2 महीने

सत्यमेव जयते

नागरिक / ग्राहक चार्टर

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
(ग्रामीण विकास मंत्रालय)

भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

वेबसाइट www.pmgsy.nic.in

दृष्टिकोण, लक्ष्य, सेवाएं एवं पणधारी

लक्ष्य

ग्रामीण भारत की सम्मिलित एवं धारणीय वृद्धि हेतु ग्रामीण संपर्कता उपलब्ध कराना

मिशन

ग्रामीण भारत में जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सामाजिक आर्थिक गतिविधियों, वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पात्र ग्रामीण बसावटों को एकल बारहमासी पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पीएमजीएसवाई कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी एवं प्रबंधन सहायता प्रदान करना।

मुख्य सेवाएं / संचालन

क्र सं	सेवाएं / संचालन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पद नाम)	ई–मेल	मोबाईल (दूरभाष सं)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	विधि	राशि
1	**परियोजनाओं की स्वीकृति**	3	निदेशक (तकनीकी) डॉ. आई के. पटेरिया एनआरआरडीए	ik.pateriya@nic.in	9968120815	1.1 निम्नलिखित के संबंध में एसआरआरडीए से प्राप्त डीपीआर की संवीक्षा (i) पात्र बसावटों को नई संपर्कता (ii) पात्र सड़कों का उन्नयन	एसएलएससी की सिफारिशें, विस्तृत नई संपर्कता अग्रता सूची उन्नयन अग्रता सूची, सर्वेक्षण भ्रमण प्रमाण पत्र तथा भूमि उपलब्धता का अनिवार्य प्रमाण पत्र और एसटीए द्वारा स्वीकृत डीपीआर (नमूना डीपीआर सहित जांच सूची) बसावट संपर्कता का सार,, राज्य की प्रत्यक्ष एवं वित्तीय प्रगति तथा विचाराधीन परियोजना प्रस्ताव का सार, एसएलएससी बैठक का कार्यवृत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं/संचालन

क्र सं	सेवाएं/संचालन	वजन %	जिम्मेदार व्यक्ति (पद नाम)	ई–मेल	मोबाईल (दूरभाष सं)	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	विधि	राशि
2.	**गुणवता आश्वासन**	5	निदेशक (परियोजना) एनआरआरडीए	gsy.nic.in	9013779611	गुणवता मॉनीटरिंग–एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण				
3.	एसआरआरडीए को कार्यकुशल प्रभावी एवं आईसीटी समर्थित वित्तीय प्रबंध सुसाध्य बनाना		भूपाल नंदा निदेशक (वित एवं प्रशा)	bhupalnanda@nic.in	26181424	**3.1 साधरण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन** **3.2 एसआरआरडीए के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की मॉनीटरिंग तथा इस विषय में प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन** **3.3 सीएजी/राज्य महालेखाकार/अन्य लेखा परीक्षाओं के अनुपालनार्थ एसआरडीए को सुकर बनाना** **3.4 ओमास पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन**				

सेवा मानक

सेवाएं / संचालन	भार	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई	भार	डाटा स्त्रोत
1 परियोजनाओं की स्वीकृति		लिया गया औसत समय क. राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत डीपीआर पर टिप्पणियां देना ख. एनआरआरडीए द्वारा संवीक्षा के दौरान दिए गए प्रेक्षणों पर राज्यों से पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होने पर 20 दिन के भीतर सशक्त समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे	21	दिन		मंत्रालय / एनआरआरडीए /एसआरआरीए रिकार्ड
2. गुणवता आवश्वासन		किए गए निरीक्षणों की संख्या	365	निदेशक		मंत्रालय / एनआरआरडीए /एसआरआरीए रिकार्ड
3 एसआरआरडीए को कार्यकुशल प्रभावी एवं आईसीटी समर्थित वितीय प्रबंध सुकर बनाना		साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकें एनआरआरडीए के नियमों के अनुसार आयोजित की जाती हैं एसआरआरडीए द्वारा यथोचित लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना	एक वर्ष में साधारण सभा की दो बैठकें तथा आवश्यकता नुसार कार्यकारिणी समिति की बैठकें यथोचित लेखा परिक्षित वार्षिक लेखें प्रस्तुत करने वाली एसआरआरडीए की प्रतिशतता	संख्या % %		मंत्रालय / एनआरआरडीए /एसआरआरीए रिकार्ड

सेवा मानक

सेवाएं/संचालन	भार	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई	भार	डाटा स्त्रोत
		एसआरआरडीए द्वारा लेखा परिक्षित रिपोर्टों पर एटीएन प्रस्तुत करना	लेखा परिक्षित रिपोर्टों पर एटीएन प्रस्तुत करने वाली एसआरआरडीए की प्रतिशतता			
		ओमास पर डाटा अद्यतन करना : एसआरआरडीए एवं पीआईयू स्तरों पर अद्यतन डाटा भरना	30	दिन		

शिकायत निवारण प्रक्रिया

वेबसाईट यूआरएल द्वारा प्रस्तुत करना होगाः **www.pmgsy.nic.in**

क्रसं	मनोनीत अधिकारी का नाम	लैण्डलाइन	ईमेल	मोबाइल संख्या
1	डॉ पी के आनन्द, संयुक्त सचिव (आरसी) निदेशक शिकायत	26179553	anandpk@nic.in	9818404066
2	श्री भूपाल नंदा (वित्त एवं प्र.शा.) नेडल अधिकारी शिकायत	26181424	Bhupalnanda@nic.in	9911772948

- शिकायतें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी में निम्नानुसार प्राप्त होती हैं।

  1. सीपीजीआरएएमएस (केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भेजा गया

  2. ऑन लाइन प्रबंधन मॉनीटरिंग एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के ''प्रतिपुष्टि' (फीडबैक) मॉडयूल पर

  3. डाक द्वारा

- शिकायत निवारण प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य प्रणाली अपनाई जाती है

  क) शिकायतें सीपीजीआरएएमएस पोर्टल तथा ओमास पर प्राप्त की जाती हैं

  ख) शिकायत की तत्काल पावती

  ग) आवश्यक कार्रवाई हेतु शिकायतों की जांच पड़ताल

  घ) एनआरआरडीए/राज्यों के संबंधित प्रभाग (गों) को अग्रेषित करना

  च.) एनआरआरडीए/राज्यों के प्रभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई

  छ) (एनआरआरडीए/राज्यों के प्रभागों द्वारा की गई कार्रवाई) शिकायत निवारण की मांग करने वालों को शिकायतों के निवारण की सूचना भेजना।

पणधारियों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	पणधारियों /सेवार्थियां का विवरण
1	नागरिक
2	जनप्रतिनिधि
3	एसआरआरडीए
4	राज्य ग्रामीण सड़क विभाग
5	राज्य पंचायती राज विभाग/राज्य पंचायत राज इंजिनियरी विभाग/राज्य लोक निर्माण विभाग/राज्य ग्रामीण कार्य विभाग/राज्य ग्रामीण इंजिनियरी विभाग (जैसा कि एक राज्य द्वारा नामित किया गया)
6	बिहार, त्रिपुरा एवं झारखण्ड में केन्द्रीय निष्पादक एजेंसियां

उत्तरदायी केन्द्रो की सूची

क्र.सं.	उत्तरदायी केन्द्र एवं अधीनस्थ संगठन	लैण्डलाइन	ईमेल	मोबाइल सं	पता
1	राज्य विभाग एवं ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां	परिशिष्ट देखें			

सेवा प्राप्तकों की ओर से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकों की ओर से निर्देशात्मक अपेक्षाएं
1	एसआरआरडीए द्वारा एसटीए स्वीकृत डीपीआर, जो कि सब प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए हैं तथा जिनके साथ पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप समर्थक दस्तावेज हैं प्रस्तुत किए जाएंगे।
2	निधियां जारी करने हेतु अनुरोध पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों अथवा इस विषय में समय–समय पर जारी कि गए दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा विधिवत् समर्थित होना चाहिए ; जैसा कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विधिवत् समाधान किया गया उपयोग प्रमाण पत्र, बैंक समाधान विवरणी, पूर्ण किए गए सड़क कार्यों के अनुरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि ।
3	राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों एवं अन्य सम्बद्ध नियमों के अनुसार पीएमजीएसवाई के लिए दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रयोग करना चाहिए।
4	निर्धारित समय के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोटें भेजें।
5	नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के संबंध में वेबसाइट की नियमित जांच करें।
6	मंत्रालय की वेबसाइट पर रखे गए/उन्हें प्रचारित किए गए मसौदों पर उनके सुझाव/निवेश दें।
7	राज्य के प्रतिनिधियों को पूर्ण सूचना के साथ पीआरसी बैठकों में भाग लेना चाहिए।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास की पहलें

क्र सं	राज्य	सड़कों की संख्या	प्रयोग में लाई गई सामग्री/प्रौद्योगिकी
1	आन्ध्र प्रदेश	6	आरबीआई ग्रेड –81 के प्रयोग से मिट्टी स्थिरीकरण
2	असम	2	जूट जियो टैक्सटाइल
3	असम	सभी राज्य	कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी
4	बिहार	1	सिलिकॉन मिलावा (एग्रीगेट)
5	छत्तीसगढ़	3	पालीमर पर आधारित मिट्टी स्थिरीकरण तकनीक
6	छत्तीसगढ़	2	जूट जियो टैक्सटाइल
7	गुजरात	4	कन्सालिड 444 आर्गेनिक कैमिकल एवं सालीडिरी पाउडर
8	जम्मू एवं कशमीर	4	आरबीआई ग्रेड –81 के प्रयोग से मिट्टी स्थिरीकरण
9	कर्नाटक	28	फ्लाईएश के साथ आरसीसीपी, आरसीसीपी, सीसी पेवमेंट, जूट एवं कायर तकनीक
10	कर्नाटक	24	स्लेग के साथ ग्रेवल, ग्रेवल बेस, सेलफिल्ड कंकरीट, पीक्यूसी आरबीआई–81, चूना स्थिरीकरण एवं कायर तकनीक
11	कर्नाटक	23	जूट जियो टैक्सटाइल
12	कर्नाटक	18	कायर जियो टैक्सटाइल
13	महाराष्ट्र	3	फ्लाई एश के प्रयोग से सीसी सड़क, पालीकार्बोक्साइल ईथरबेस का प्रयोग करते हुए स्टील स्लैग एंवं सेल्फ कम्पैक्टिंग कंकरीट
14	महाराष्ट्र	9	स्टील स्लेग /फ्लाई एश /वेस्ट प्लास्टिक/सीमेंट/चूना के प्रयोग से मिट्टी स्थिरीकरण
15	महाराष्ट्र	3	आरबीआई ग्रेड –81 के प्रयोग से मिट्टी स्थिरीकरण
16	महाराष्ट्र	2	जियोग्रेड का प्रयोग
17	महाराष्ट्र	2	कंकरीट में डामर एम्लशन का प्रयोग
18	मध्य प्रद्रेश	2	जूट जियो टैक्सटाइल
19	ओडिशा	2	जूट जियो टैक्सटाइल

क्र सं	राज्य	सड़कों की संख्या	प्रयोग में लाई गई सामग्री/प्रौद्योगिकी
20	तमिलनाडु	7	आरबीआई ग्रेड –81 के प्रयोग से मिट्टी स्थिरीकरण
21	तमिलनाडु	19	कायर जियो टैक्सटाइल
22	उत्तराखण्ड	32	सीआरएमबी के साथ ओजीपीसी
23	उत्तराखण्ड	26	एम्लशन के साथ ओजीपीसी
24	उत्तराखण्ड	1	आरबीआई ग्रेड –81 के प्रयोग से मिट्टी स्थिरीकरण
25	पश्चिम बंगाल	1	दोहरी दीवार नालीदार उच्च घनत्व पालीथाइलीन (डीडब्ल्यूएचडीपी) पाइप प्रणाली
26	पश्चिम बंगाल	1	जूट जियो टैक्सटाइल

उत्तरदायी केन्द्र

क्र सं	राज्य		संपर्क के ब्यौरे		
		विभाग		एसआरआरडीए	
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्रधान सचिव (पीआर), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार 040-23454670 040-23450608- F Ps_prlsecy_pr@ap.gov.in	कमरा नं 808 'एल' ब्लॉक, 8वां तल, ए.पी. सचिवालय, हैदराबाद	सीईओ, एपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	040-23321306, 040-23326083-फै. 09849263263 -मो. ईमेल आईडी ce_pmgsy_pr@ap.gov.in
2.	अरूणाचल प्रदेश	सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण कार्य विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार, 'सी' सैक्टर, पोस्ट बॉक्स नं 108, इटानगर–791111 दूरभाष सं. 0360-2212391, 2211771. ईमेल: rwdceita@sancharnet.in	ग्रामीण कार्य विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार, पो.ओ.बॉक्स सं. 108 ''सी'' सैक्टर, इटानगर–791112	मुख्य अभियन्ता, अरूणाचल ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0360-2212525, 2212427 (का), 0360-2212756(फै), मो-09436050410 ईमेल:- rwdceita@sancharnet.in
3	असम	सचिव सह आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, असम सरकार, पो.ओ. सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी–781006 दूरभाष: 361–2262222 0361 2262069–फै Dispu23j91@yahoo.com	पीडब्ल्यूडी(सड़कें), सशक्त अधिकारी, एएसआरबी, चांदमारी, गुवाहाटी–781003	मुख्य अभियन्ता, असम ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	दूरभाष सं 0361-2660079 (का), 0361-2660774 (फै), 09864209436 (मो) ईमेल आईडी: bkdas1@hotmail.c
4.	बिहार	सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, 5वां तल, विश्वेश्वर्या भवन, बेली रोड, पटना–800015 दूरभाष सं. 0612-2545191, 0612-2545322-फै reobihar@yahoo.com	ग्रामीण अभियान्त्रिक संगठन, 5वां तल, विश्वेश्वर्या भवन, बेली रोड, पटना–800015 बिहार	प्रमुख अभियन्ता, बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0612-2591819 (का), 0612-2545322(फै), 09835011671 (मो) ईमेल आईडी:- reobihar@yahoo.c
5.	छत्तीसगढ़	प्रधान सचिव, पंचायत एवं आरडी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ दूरभाष सं. 0771-2221207, 22212080771 -2221206 cs-cg@nic.in,	ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायुपर, छत्तीसगढ़	मुख्य अभियन्ता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	दूरभाष सं: 0771-2429666 (का), 09425212359(मो)

6.	गोवा	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, गोवा सरकार, पणजी–403001, गोवा दूरभाष सं. 0832-2224801, 0832-2419421	लोक निर्माण विभाग, अल्टीनोह, पणजी–403001, गोवा	मुख्य अभियन्ता गोवा ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0832-2224984/ 2227162 (का), 0832-2225297 (फै)
7.	गुजरात	सचिव, आर एण्ड बी विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं. 14/2, न्यू सचिवालय, गांधीनगर–382810, गुजरात दूरभाष सं. 079-23251801, 23252509-फै Secr&b@guj.nic.in	आर एण्ड बी विभाग, ब्लॉक सं 14/3, सरदार भवन, न्यू सचिवालय, गांधीनगर–382010, गुजरात	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गुजरात राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (जीएसआरआरडीए)	079-23251815-6, 23252163(का), 079-23252163(फै), 09978406472(मो) ईमेल आईडी:- hdvala@yahoo.com
8.	हरियाणा	सचिव, लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर), हरियाणा सरकार, कमरा नं 207, द्वितीय तल, मिनी सचिवालय, हरियाणा सिविल सचिवालय,, सैक्टर 7, चण्डीगढ़, हरियाणा दूरभाषा सं. 0172-2713496	प्रमुख अभियन्ता, हरियाणा पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), सैक्टर 19–बी, चण्डीगढ़, हरियाणा	मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) हरियाणा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0172-2549843, 2724087, 2725548 (का), 0172-2549843 - फै मो- 09356067504 ईमेल: cebn@hry.nic.in
9.	हिमाचल प्रदेश	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला, हिमाचल प्रदेश दूरभाष सं. 0177-2620105 0177-2621907 pwdsecy-hp@nic.in	हिमाचल प्रदेश, पीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, निगम विहार, छोटा शिमला, शिमला–171001, हिमाचल प्रदेश	मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई), हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0177-2621402(का), 0177-2801416 (फै), 09418109149 (मो) ईमेल: hp-shi-
10.	जम्मू एवं कश्मीर	सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग (आरएण्डबी), जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, जम्मू,, जम्मू एवं कश्मीर दूरभाष सं. 0191-2562531, 0191-2546185, secypwd@jk .nic.in	नियर इंजीनियरिंग काम्पलेक्स, बंद रोड, राजबाग, श्रीनगर, कश्मीर–190008 जम्मू एवं कश्मीर	मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, जेकेआरआरडीए	0194-2312435, 2560130 (का), 0194-2312435/ 2495206 (फै), 09419019311 (मो) ईमेल आईडी: pmgsy-ce@jk.nic.in
11.	झारखण्ड	सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण मंत्रालय, द्वितीय तल, एचईसी कैंपस, रांची–834004 दूरभाष सं. 0651-2400244, 0651-2400245 hprsec@pm gsy.nic.in	ग्रामीण अभियान्त्रिक संगठन, भू–तल, एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा, रांची–834004 झारखण्ड	मुख्य अभियन्ता झारखण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0651-2401946/06 (का), 0651-2207818 (फै)/ 094317087712 (मो) ईमेल आईडी: jh-ce@pmgsy.in

12.	कर्नाटक	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कर्नाटक सरकार, सचिवालय–II, तीतृय तल, एम एस बिल्डिंग, डॉ. अम्बेडकर विधी, बैंगलौर–560 001 दूरभाष सं. 080-22353929 23376112 secyrd-rdpr@karnataka.gov.in	केएससीसी बिल्डिंग, द्वितीय तल, डॉ राजकुमार रोड, राजाजीनगर, बैंगलौर 560 010, कर्नाटक	मुख्य संचालन अधिकारी, केआरआरडीए	080-23376124/ 23376096 (का), 080 - 23378563/23376122 (फै), 09449599401(मो) ईमेल आईडी: cookrrda.karbng.kar
13.	केरल	प्रधान सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, एनेक्सड बिल्डिंग, त्रिवनन्तपुरम, केरल दूरभाष सं. 0471-2518669 0471-2320311 prl.secy@lsg.kerala.gov.in	तृतीय तल, सीएसआई बिल्डिंग, डीसी–28/885, पुलिमूदू जं., त्रिवनन्तपुरम, केरल	संयुक्त विकास आयुक्त, केरल राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	दूरभाष 0471-2115013 (का), 0471-2317214 (फै), ईमेल : ksrrda@eth.net
14.	मध्य प्रदेश	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल–462004,मध्य प्रदेश दूरभाष सं. 0755-2551114 mp-cexo@pmgsy.nic.in	5वां तल, ब्लॉक नं 2, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एमपीआरआरडीए)	0755-2572207 , 2578994 (का), 0755-2573396 (फै), 09425113544 (मो) ईमेल आईडी: ceorrda@rediffmail.com, , ceomprrda@gmail.com
15.	महाराष्ट्र	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, प्रथम तल, कमरा नं 157 मेन, मंत्रालय, मुम्बई–400032 दूरभाष सं. 022-22831017 022-22831017 kvatsa@hotmail.com	ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण विभाग, प्रथम तल, कमरा नं 151, मेन बिल्डिंग मंत्रालय, मुम्बई 400032	मुख्य अभियन्ता (प्रभारी) (पीएमजीएसवाई), महराष्ट्र ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	022-22846894/ 22026056 (का), 022-22846894 (फै) ईमेल: mh-ce@pmgsy.nic.in
16.	मणिपुर	आयुक्त (आरडी एवं पीआर), ग्रामीण विकास विभाग , कमरा नं 314, न्यू बिल्डिंग, मणिपुर सचिवालय, नार्थ ब्लॉक, इम्फाल 795001, मणिपुर दूरभाष सं. 0385-2440736, 0385- 2452629	सिलवरस्प्रिंग विला, न्यू लाम्बूलेन, इम्फाल 795001, मणिपुर	मुख्य अभियन्ता सह एसक्यूसी, (मणिपुर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एमएसआरआरडीए)	0385-2445073 (का), 0385-2442578 (फै), 09436031154 (मो) ईमेलआइडी: p2kipgen@yahoo.co.in

17.	मेघालय	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, (आर एवं बी), सीईओ, एसआरआरडीए, मेघालय सरकार, लोअर लेचूमियर, शिलौंग–793001 मेघालय दूरभाष सं. 0364-2224358	लोक निर्माण विभाग (सड़कें), शिलौंग, मेघालय	मुख्य अभियन्ता, मेघालय राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0364-2506228/2226481 (का), 0364-2226429 (फै), ईमेल आईडी: cepwdroads@sancharnet.in
18.	मिजोरम	सचिव, लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार, ऐजवाल–796001, दूरभाष सं. 0389-2322176, 2324002	पीडब्ल्यूडी, ज़ोन तिक्यूथ्यांग, मिजोरम सरकार ऐजवाल, मिजोरम	मुख्य अभियन्ता मिजोरम ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0389-2326205 (का), 0389-2323347 (फै), 09436140776 (मो) ईमेल आईडी : , lenungah@yahoo.com ce_hw@mizopwd.org
19.	नागालैण्ड	आयुक्त एवं सचिव (आरडी एवं पीब्ल्यूडी) कार्य एवं आवास विकास, नागालैण्ड सरकार, कोहिमा–797001 नागालैण्ड दूरभाष. 0370-2270292, 0370-2270292 temjentoy@gmail.com	लोक निर्माण विभाग (आरएवंबी), कोहिमा, नागालैण्ड	मुख्य अभियन्ता, नागालैण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	दूरभाष सं 0370-2222781 (का), 0370-2222827 (फै)
20.	ओडिशा	आयुक्त सह सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ओडिशा सरकार भुवनेश्वर, ओडिशा दूरभाष सं. 0674-2536740 0674-2536641 ईमेल rdsec@ori.nic.in	ग्रामीण कार्य III, मुख्य अभियन्ता ग्रामीण कार्य का कार्यालय, मधुसूदन, नगर, यूनिट 4, भुवनेश्वर–751001 ओडिशा	मुख्य अभियन्ता, ओडिशा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0674-2392964 - 2392776(का), 0674-2394705 (फै), 09437255444 (मो) ईमेल आईडी: cerw_bbsr@yahoo.com
21.	पंजाब	सचिव, पीडब्ल्यूडी विभाग (सडकें एवं पुले), पंजाब सरकार सचिवालय, चण्डीगढ़ पंजाब दूरभाष 0172-2741237 office@prbdb.gov.in	पंजाब सड़क एवं पुल विकास बोर्ड, एससीओ, 61–62, प्रथ ाम तल, फेज–II, एसएएस नगर, मोहाली, (चण्डीगढ़) पंजाब	मुख्य अभियन्ता पंजाब सड़क ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0172-6626609/6626655/10 (का), 0172 - 6626640 (फै) ईमेल: office@prbdb.gov.in
22.	राजस्थान	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान दूरभाष सं. 0141-2227107 pwdraj@yahoo.com	लोक निर्माण विभाग जयपुर राजस्थान	लोक निर्माण मुख्य अभियन्ता राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0141-5110543 (का), 0141-5110501/2227356 (फै), 09414080621 (मो) ईमेल आईडी: pmgsyrajasthan@rediffmail.com

23.	सिक्किम	सचिव, ग्रामीण संगठन एवं विकास विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक– 737103 सिक्किम दूभाष. 03592-202 659, 03592 201 221	ग्रामीण संगठन एवं विकास विभाग, तेसलिंग, सचिवालय, गंगटोक, सिक्किम	मुख्य अभियन्ता	03592-226892/ 202659 (का), 03592-226892/201221 (फै), 09434063775(मो) ईमेल आईडी: chiefengineerrmdd@gmail.com
24.	तमिलनाडु	प्रधान सचिव (आरडी एवं पीआर), ग्रामीण विकाास विभाग, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चैन्नई 600009 तमिलनाडु दूरभाष . 044-25697069, 044- 25670769	ग्रामीण विकास एण्ड पंचायत राज, पंगाल बिल्डिंग, सेदपथ, चैन्नइ 600015, तमिलनाडु	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	044-2432794 (का), 044-24343205 (फै), 09940067508 (मो) ईमेल आईडी: drd@tn.nic.in
25.	त्रिपुरा	आयुक्त एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग, त्रिपुरा सरकार, सचिवालय काम्पलेकस, अगरतला, त्रिपुरा दूरभाष सं. 0381-2413366	संयुक्त सचिव, पीडब्ल्यूडी तथा निदेशक,ग्रामीण विकास विभाग, प्लानिंग सर्कल, अगरतला, त्रिपुरा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	0381-2329301 , 2319691(का), 0381-2311517, 23224073 (फै), 09650191859 (M) ईमेल आईडी ranjitkmajumdar@gmail.com
26.	उत्तर प्रदेश	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश 0522-2238669 surandraku2002@yahoo.co.in	यूपीआरआरडीए, तृतीय एवं चतुर्थ तल, गन्ना किसान संस्थान, न्यू बेरी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सडक विकास एजेंसी	0522-2207034 (का), 0522-2286025/ 2286023 (फै) / 09838446622 ईमेल आईडी up@nic.in
27.	उत्तराखण्ड	सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, उत्तराखण्ड सरकार, 4बी, सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष 0135-2712100 0135-2712500 cs-uttaranchal@nic.in	द्वारा प्रमुख अभियन्ता, पीएमजीएसवाई सेल, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ 96, उत्तर प्रदेश	मुख्य अभियन्ता	0522-2238740 (का), 0522-2235461 (फै) ईमेल आईडी mailrkgarg@yaoo.co.in

28.	पश्चिम बंगाल	प्रधान सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जेसप बिल्डिंग (प्रथम तल), कोलकात्ता 700001, पश्चिम बंगाल दूरभाषा सं. 22424422, 22484327 ps@prd.wb.nic.in	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संयुक्त मुख्य कार्यपाल अधिकारी, पश्चिम बंगाल सरकार, जेसप बिल्डिंग, (प्रथम तल), 63, एनएस रोड, कोलकात्ता 700001 पश्चिम बंगाल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पश्चिम बंगाल ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	033-22438720 (का), 033-22438719 (फै), 09874682252 (मो) ईमेल आईडी: wbsrdacal@yahoo.co.in , wbsrdacal@gmail.com

मार्च माह 2013 तक वास्तविक व्यय

(राशि–रू.)

विषय शीर्ष और उद्देश्य 1. प्राप्ति	आरई 2012–13	28 फरवरी 2013 तक वास्तविक	मार्च 2013 महीने के दौरान वास्तविक	31 मार्च 2013 तक प्रगामी	1 मार्च 2013 तक शेष	प्रतिशत
अथशेष						
एमओरआरडी अनुदान (बैंक)		1,43,12,960		1,43,12,960		
एमओआरडी अनुदान (नगद)		10,374		10,374		
एमओआरडी अनुदान (एफडीआर)		7,05,28,175		7,05,28,175		
(1.1.01) एमओआरडी से अनुदान	14,00,00,000	13,70,00,000		13,70,00,000		
(1.1.02) ब्याज से आय		27,28,889	2,29,065	29,57,954		
(1.1.03) विविध प्राप्ति		2,685	6,668	9,353		
(1.1.04) भारत सरकार–विश्व बैंक से प्राप्ति (आरआरपी–I)	11,10,000			0		
(1.1.04.01) भारत सरकार–विश्व बैंक से प्राप्ति (आरआरपी II)	8,25,00,000		8,25,00,000	8,25,00,000		
(1.1.05) भारत सरकार तथा एडीबी से प्राप्ति	60,00,000		60,00,000	60,00,000		
कुल प्राप्ति	**22,96,10,000**	**22,45,83,083**	**8,87,35,733**	**31,33,18,816**		

(1.2.1) स्थापना						
(1.2.1.01)वेतन तथा भत्ते	4,05,00,000	2,67,40,699	19,83,217	2,87,23,916	1,17,76,084	70.92%
(i) प्रतिनियुक्तियां	2,50,00,000	1,26,97,329	8,62,043	1,35,59,372	1,14,40,628	54.24%
(ii) सेवानिवृत अधिकारी	60,00,000	57,72,642	59,195	58,31,837	1,68,163	97.20%
(iii) सहायक स्टाफ/अन्य	95,00,000	82,70,728	10,61,979	93,32,707	1,67,293	98.24%
(1.2.1.03) समयोपरि भत्ता	15,00,000	10,14,552	1,52,144	11,66,696	3,33,304	77.78%
(1.2.1.04) चिकित्सा दावों पर खर्च	10,00,000	3,25,263	10,162	3,35,425	6,64,575	33.54%
कुल स्थापना	**4,30,00,000**	**2,80,80,514**	**21,45,523**	**3,02,26,037**	**1,27,73,963**	**70.29%**
(1.2.2) प्रशासनिक खर्चे						
(1.2.2.01) कार्यालय खर्च/कर एवं शुल्क	16,00,000	5,83,244	6,87,530	12,70,774	3,29,226	79.42%
(1.2.2.02) घरेलु यात्रा पर खर्च	50,00,000	35,42,966	50,393	35,93,359	14,06,641	71.87%
(1.2.2.03) विदेश यात्रा पर खर्च	1,00,000	66,679	0	66,679	33,321	66.68%
(1.2.2.04) वाहनों का किराया	25,00,000	21,25,578	1,92,045	23,17,623	1,82,377	92.70%
(1.2.2.05) छपाई एवं लेखन सामग्री	15,00,000	12,32,248	95,666	13,27,914	1,72,086	88.53%

(1.2.2.06) बैठकों का खर्च	3,00,000	2,10,612	89,388	3,00,000	0	100.00%
(1.2.2.07) कार्यालय के लिए व्यवसायिक सेवाएं	5,00,000	3,24,708	0	3,24,708	1,75,292	64.94%
(1.2.2.08) दूरभाष–कार्यालय	9,00,000	5,94,478	55,981	6,50,459	2,49,541	72.27%
(1.2.2.09) आवास पर टेलीफोन और मोबाइल	5,00,000	1,56,964	24,153	1,81,117	3,18,883	36.22%
(1.2.2.10) वाहनों का रखरखाव	6,00,000	4,06,149	36,133	4,42,282	1,57,718	73.71%
(1.2.2.11) विद्युत खर्च	20,00,000	15,61,349	1,31,789	16,93,138	3,06,862	84.66%
(1.2.2.12) डाक का खर्च	3,00,000	1,91,874	19,772	2,11,646	88,354	70.55%
(1.2.2.13) मरम्मत तथा अनुरक्षण	15,00,000	5,24,436	9,08,293	14,32,729	67,271	95.52%
(1.2.2.14) बीमा खर्च	10,000	0	0	0	10,000	0.00%
(1.2.2.15) अन्य कार्यालय खर्च	15,00,000	13,02,313	1,54,910	14,57,223	42,777	97.15%
कुल प्रशासनिक खर्च	**1,88,10,000**	**1,28,23,598**	**24,46,053**	**1,52,69,651**	**35,40,349**	**81.18%**
(1.2.3) आर एण्ड डी व एचआरडी						
(1.2.3.01) प्रशिक्षण	65,00,000	32,30,958	1,31,795	33,62,753	31,37,247	51.73%
(1.2.3.02) तकनीकी विकास एवं अनुसंधान	10,00,000	4,03,000	5,23,970	9,26,970	73,030	92.70%

(1.2.3.03) कार्यशालाएं तथा सम्मेलन	85,00,000	79,29,526	16,02,571	95,32,097	-1,032,097	112.14%
(1.2.3.04) व्यावसायिक निकायों को अंशदान	5,00,000	3,87,349	0	3,87,349	1,12,651	77.47%
(1.2.3.05) व्यावसायिक सेवाएं	10,00,000	1,28,320	0	1,28,320	8,71,680	12.83%
कुल आर एवं डी तथा एचआरडी	1,75,00,000	1,20,79,153	22,58,336	1,43,37,489	31,62,511	81.93%
(1.2.4) प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार						
(1.2.4.01) प्रकाशन	3,00,000	1,44,881	0	1,44,881	1,55,119	48.29%
(1.2.4.02) विज्ञापन एवं प्रचार	10,00,000	3,69,828	2,24,950	5,94,778	4,05,222	59.48%
(1.2.4.03) पुस्तकें पत्रिकाएं तथा श्रव्य एवं दृश्य सामग्री	2,00,000	12,879	0	12,879	1,87,121	6.44%
कुल प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रचार	**15,00,000**	**5,27,588**	**2,24,950**	**7,52,538**	**7,47,462**	**50.17%**
(1.2.5) एस.टी.ए., पी.टी.ए. तथा एन.क्यू.एम.						
(1.2.5.01) एनक्यूएम को मानदेय	1,50,00,000	95,54,874	10,17,000	1,05,71,874	44,28,126	70.48%
(1.2.5.02) एनक्यूएम को यात्रा खर्च	1,50,00,000	1,14,37,052	12,80,470	1,27,17,522	22,82,478	84.78%
(1.2.5.03) प्रधान तकनीकी एजेंसियों को भुगतान		0	0	0	0	0.00%
((1.2.5.04) राज्यों की तकनीकी एजेंसियों को भुगतान	1,50,00,000	1,30,09,922	15,13,200	1,45,23,122	4,76,878	96.82%

कुल एस.टी.ए., पी.टी.ए. तथा एन.क्यू.एम.	**4,50,00,000**	**3,40,01,848**	**38,10,670**	**3,78,12,518**	**71,87,482**	**84.03%**
(1.2.6) ओ.एम.एम.एस. और कम्पयूटरीकरण						
(1.2.6.01) ऑनलाईन प्रबंधन व्यवस्था का विकास और अनुरक्षण	2,95,00,000	1,93,58,449	0	1,93,58,449	1,01,41,551	65.62%
(1.2.6.02) कम्पयूटरों तथा संबद्ध उपकरणों का किराया			0			0.00%
(1.2.6.03) ई–प्रापण का विकास एवं अनुरक्षण	0	0	0	0	0	0.00%
कुल ओ.एम.एम.एस. और कम्प्यूटरीकरण	**2,95,00,000**	**1,93,58,449**	**0**	**1,93,58,449**	**1,01,41,551**	**65.62%**
(1.2.8) एडीबी से तकनीकी सहायता						
(1.2.8.01) परामर्श	60,00,000	49,53,730	8,68,803	58,22,533	1,77,467	97.04%
(1.2.8.02) अन्य			0	0	0	0.00%
ए.डी.बी. से कुल तकनीकी सहायता	**60,00,000**	**49,53,730**	**8,68,803**	**58,22,533**	**1,77,467**	**97.04%**
(1.2.9) विश्व बैंक ऋण (आरआरपी–I)						
क्षमता निर्माण	11,10,000	11,09,021	0	11,09,021	979	99.91%
कुल विश्व बैंक ऋण (आरआरपी–I)	**11,10,000**	**11,09,021**	**0**	**11,09,021**	**979**	**99.91%**
(1.2.10) विश्व बैंक ऋण (आरआरपी–I)						

(1.2.10.01) अनुसंधान एवं विकास	2,85,00,000	1,55,14,513	25,27,200	1,80,41,713	1,04,58,287	63.30%
(1.2.10.02) निष्पादन और वित्तिय लेखा परीक्षा का स्वतंत्र सत्यापन	15,00,000	10,18,247	74,090	10,92,337	4,07,663	72.82%
(1.2.10.03) प्रशिक्षण	5,19,00,000	2,90,22,840	23,72,231	3,13,95,071	2,05,04,929	60.49%
(1.2.10.04) उपस्कर 101.15%	6,00,000	0	6,06,874	6,06,874	-6,874	
कुल विश्व बैंक ऋण (आरआरपी–II)	**8,25,00,000**	**4,55,55,600**	**55,80,395**	**5,11,35,995**	**3,13,64,005**	**61.98%**
(2.2) पूंजीगत व्यय						
(2.2.01) कार्यालय क्षेत्र की खरीद/मरम्मत	0	0	0	0	0	0.00%
(2.2.02) फर्नीचर तथा कार्यालय का साज सामान	6,00,000	48,421	1,07,350	1,55,771	4,44,229	25.96%
(2.2.03) वाहनों की खरीद	10,00,000	0	0	0	10,00,000	0.00%
(2.2.04) मशीनरी एवं उपस्कर की खरीद	15,00,000	6,32,978	1,36,729	7,69,707	7,30,293	51.31%
(2.2.05) कम्प्यूटरों तथा सम्बद्ध उपकरणों की खरीद	8,00,000	1,59,465	-3,800	1,55,665	6,44,335	19.46%
कुल पूंजीगत व्यय	**39,00,000**	**8,40,864**	**2,40,279**	**10,81,143**	**28,18,857**	**27.72%**
			0	0		
			0	0		
कुल खर्च	**24,88,20,000**	**15,93,30,365**	**1,75,75,009**	**17,69,05,374**	**7,19,14,626**	**56.46%**

परिशिष्ट - XIII क

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

5वां तल, 15 एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

31 मार्च 2013 को वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि– रू)

पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	2012-13	2011-12
पूंजीगत निधि	1	4,06,33,419.68	4,48,64,733.73
सामान्य निधि	2	10,72,55,427.47	7,06,55,956.45
आयुक्त अनुदान	3	4,52,93,606.06	8,43,17,660.06
राज्यों को सहायता अनुदान के लिए नबार्ड से त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत ऋण		11499,99,61,880.00	15199,99,98,480.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	1,13,93,067.00	2,02,88,959.00
कुल (रू.)		**11520,45,37,400.21**	**15222,01,25,789.24**
नियत परिसंपत्तियां			
समय ब्लॉक	5	12,46,18,084.12	12,29,30,067.00
घटाएं : संचयी मूल्य ह्रास		8,39,84,664.32	7,80,65,333.28
निवल ब्लॉक		4,06,33,419.80	4,48,64,733.73
मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	6		
(क) रोकड़ एवं बैंक शेष		13,73,86,400.84	16,55,48,049.10
(ख) ऋण एवं अग्रिम		1,44,13,275.59	87,47,212.43
(ग) आईएलओ को लंबित अग्रिम		1,11,74,710.00	0.00
(घ) एनआईसीएसआई को लंबित अग्रिम		9,67,713.98	9,67,713.98
एमओआरडी से त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्य अनुदान		11499,99,61,880.00	15199,99,98,080.00
योग (रू)		**11520,45,37,400.21**	**15222,01,25,789.24**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	11		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट का संलग्नक

वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

वास्ते रावला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661 एन

हस्ता/–

राजा राम गुप्ता, सीए
साझेदार
एम नं 81279
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई 2013

हस्ता/–

(भूपाल नंदा)
निदेशक (वि. एवं. प्र.)

हस्ता/–

(डॉ. पी. के. आनंद)
महानिदेशक

परिशिष्ट - XIII ख

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली

अनुसूचीः 11(क)

महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां निम्न प्रकार हैः

(क) लेखाकरण नीतियां (ए.एस–1)

भारत में प्रयोज्य लेखाकरण नीतियों, आई.सी.ए.आई. और संबंधित प्रावधानों द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के साथ, इस एजेंसी ने वर्ष के दौरान प्रोद्भवन लेखाकरण को अपनाया है।

(ख) नियत परिसंपत्तियां (ए.एस–10)

लागत विहीन मूल्यह्रास पर नियत परिसंपत्तियों को दिखाया गया है। लागत में अर्जन की लागत, सुधार की लागत और परिसंपत्ति को इसके अभीष्ट प्रयोग की अवस्था तक लाने में लगनेवाली आरोपणीय लागत शामिल है।

(ग) मूल्यह्रास (ए.एस–6)

आयकर अधिनियम, 1961 में यथानिर्धारित दर पर हरासित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास प्राविहित हुआ है। इसमें एनक्यूएम को दिए गए मोबाईल फोन भामिल नहीं है। एनक्यूएम को मोबाईल फोन दो वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते डालने होंगे।

(घ) अनुदान (ए.एस–12)

सोसायटी खर्चों वाले वर्ष में विशिष्ट सहायता अनुदान की पहचान करती है। विनिर्दिष्ट उद्देश्यों अर्थात् नियत परिसंपत्तियों के राजस्व और उसकी खरीद के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है। उपयोजनार्थ संबंधित लागत के अनुरूप जरूरी अवधि के दौरान आय–व्यय खाते में क्रमबद्ध आधार पर राजस्व के लेखाकरण व्यवहार को मान्यता दी जाती है। ऐसे अनुदान को आय के मद के तहत सहायता–अनुदान के रूप में अलग से दिखाया जाता है।

मूल्यह्रास योग्य स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद के लिये अनुदान का लेखाकरण व्यवहार पूंजीगत निधि के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऐसे अनुदान का नियतन उस अवधि की आय एवं समानुपात में किया जाता है जिसमें इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

वस्ते रावला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661 एन

वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

हस्ता/–
राजा राम गुप्ता, सीए
साझेदार
एम नं 81239

हस्ता/–
(भूपाल नंदा)
निदेशक (वि.एवं प्र.)

हस्ता/–
(डॉ. पी.के. आनंद)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 22 जुलाई 2013

परिशिष्ट - XIII ग

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची –11(ख)

लेखाओं के लिए टिप्पणियां :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 14.01.2002 को पंजीकृत की गई थी। एजेंसी को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व विश्व बैंक से सहायता अनुदान तथा सहायता प्राप्त हुई।

2. नबार्ड को ब्याज तथा ऋण की किस्तों का भुगतान करने के लिए एजेंसी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया। प्राप्त किए गए तथा चुकोती किए गए अनुदान तथा ब्याज एवं ऋण की किस्तों के रूप में किए गए भुगतान निम्ननानुसार हैं :

(रूपयों में)

ब्यौरे	मूल धन	ब्याज
वर्ष 2012–13 के दौरान एमओआरडी से प्राप्त अनुदान	37,00,00,36,200.00	818,56,36,471.00
2011–12 से आगे लाया गया अप्रयुक्त अनुदान (टीडीएस का निवल)	400.00	806,51,235.00
वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया बैंक जमा पर ब्याज		87,89,244.00
कुल	37,00,00,36,600.00	827,50,76,950.00
नबार्ड को भुगतान	37,00,00,36,600.00	8,27,50,76,950.00

3. वर्ष के दौरान एजेंसी ने सम्बद्ध खर्च, जिन्हें तुलन पत्र में उपयोग किए गए अनुदान के रूप में जाना जाता है के साथ मेल करने के लिए निम्नलिखित अनुदान की आय के रूप में पहचान नहीं की ।

क. एनआईसीआई के पास शेष (ई प्रापण प्रणाली) रूपये 9,67,713.06

ख. अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ के पास शेष रूपये 1,11,74,710.00

ग. आरआरपी– ।। के अंतर्गत विश्व बैंक के लिए तकनीकी सहायता के अंतर्गत एमओआरडी से प्राप्त अनुदान के कारण रूपये 3,31,51,183.00

4. रु. 7,88,30,479.00 के कार्यालय आवास को अभी भी प्राधिकारण के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है। उप–पट्टा विलेख (लीज़ डीड) अभी भूमि विकास अधिकारी शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास लम्बित पड़ा है।

5 एजेंसी ने छुट्टी के वेतन तथा पेंशन अंशदान के लिए नियोक्ता के अंशदान रूपये 13,28,165.00 का प्रावधान किया है।

6. उपयोग प्रमाण पत्र/सम्बद्ध बिल न प्राप्त होने के कारण अग्रिम भुगतान बकाया हैं।

(रूपयों में)

क्र.सं	ब्यौरे	**2012-13**	**2011-12**
1.	एसटीए को अग्रिम भुगतान	5,20,100.00	5,80,100.00
2.	प्रयोगशाला उपस्कर के लिए अग्रिम	4,18,843.00	4,18,843.00
3.	तकनीकी विकास एवं अनुसंधान कार्य के लिए अग्रिम	24,58,033.00	24,58,033.00
4.	कार्यशाला तथा सम्मेलन के लिए अग्रिम	47,95,195.00	5,39,440.00
5.	अनुसंधान एवं विकास के लिए अग्रिम	16,33,353.00	0.00
6.	प्रकाशन के लिए अग्रिम	0.00	14,94,400.00
7.	प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	14,00,000.00	50,000.00
8.	प्रशिक्षण के लिए अग्रिम (डब्ल्यू.बी.)	50,000.00	0.00
9.	यात्रा भत्ते के लिए अग्रिम	0.00	77,150.00
	कुल	**1,12,75,524.00**	**56,17,966.00**

7. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक था पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

वास्ते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661एन

वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
राजा राम गुप्ता, सीए	(भूपाल नंदा)	(डॉ. पी. के. आनंद)
(साझीदार)	निदेशक (वि. एवं प्र.)	महानिदेशक
एम नं 81239		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 26 जुलाई, 2013

परिशिष्ट - XIII घ

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

5वां तल, 15 एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

प्राप्तियां	2012-13	2011-12
अथ शेष		
रोकड़	10,374.00	11,455.00
बैंक शेष	1,43,12,959.81	6,16,62,273.04
एफडीआर	15,12,24,715.29	8,89,778.35
एमओआरडी से भुगतान		
क) ई–प्रापण प्रणाली	0.00	50,00,000.00
ख) व्यय के हेतु	22,55,00,000.00	12,00,00,000.00
ग) नबार्ड को ऋण की चुकौती के लिए	3700,00,36,200.00	2400,00,00,000.00
घ) नबार्ड को ब्याज के भुगतान के लिए	818,56,36,471.00	1120,00,00,000.00
ब्याज (टीडीएस का निवल)	1,23,69,188.27	2,41,17,922.68
तकनीकी अनुसंधान कार्य के लिए अग्रिम की वापसी	0.00	4,96,070.00
प्रतिभूति की वापसी	17,756.00	78,495.00
लाइसेंस फीस	17,259.00	
विभिन्न प्राप्तियां	11,392.17	1,348.00
कुल	**4558,91,36,315.54**	**3541,22,57,342.07**
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान		
पूंजीगत लेखा		
अचल संपत्ति पर खरीद	16,88,017.00	4,71,093.00
नबार्ड को ऋण की चुकौती	3700,00,36,600.00	2399,99,99,600.00
अन्य व्यय		
स्थापना पर व्यय	3,06,81,140.00	2,86,76,438.00
अन्य व्यय	12,71,72,751.41	5,71,34,248.97

प्राप्तियां	2012-13	2011-12
एनआईसीएसआई को ई–प्रापण अनुदान	0.00	1,75,52,000.00
नबार्ड को भुगतान किया गया ब्याज	827,50,76,950.00	1114,13,72,305.00
पूर्व वर्ष की टीडीएस का भुगतान	1,58,389.00	14,50,608.00
प्रतिभूति जमा	1,43,800.00	53,000.00
उपयोग हेतु लंबित अग्रिम	56,17,558.00	
आईएलओ के लिए लंबित अग्रिम	1,11,74,710.00	0.00
अंत शेष		
(क) रोकड़	303.00	10,374.00
(ख) बैंक	1,13,52,968.96	1,43,12,959.81
(ग) सावधि जमा	12,60,33,128.17	15,12,24,715.29
कुल	**4558,91,36,315.54**	**3541,22,57,342.07**

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट का संलग्नक
वास्ते रावला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661 एन

वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

हस्ता/–
राजा राम गुप्ता, सीए
साझेदार
एम नं 81279

हस्ता/–
(भूपाल नंदा)
निदेशक (वि. एवं. प्र.)

हस्ता/–
(डॉ. पी. के. आनंद)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई 2013

परिशिष्ट - XIII च

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

5वां तल, 15 एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

आय	अनु	2012-13	2011-12
सहायता अनुदान	7	845,01,60,525.00	1125,61,98,647.86
प्राप्त ब्याज	8	1,22,73,893.43	2,71,25,677.11
विविध प्राप्तियां		28,652.00	1,348.00
मूल्यह्रास की सीमा तक पूंजी निधी वापस करना		59,19,331.05	76,15,454.28
कुल (क)		846,83,82,401.48	1129,09,41,127.25
व्यय			
स्थापना व्यय	9	3,12,70,460.00	2,83,64,482.00
प्रशासनिक व्यय	10	11,78,28,172.41	6,75,53,643.97
मूल्यह्रास	5	59,19,331.05	76,15,454.28
नबार्ड को भुगतान किया गया ब्याज		827,50,76,950.00	1114,13,72,305.00
ई प्रापण प्रणाली के रख–रखाव का व्यय		-	1,87,01,689.94
कुल (ख)		843,00,94,913.46	1126,36,07,575.19
खर्चे से अधिक आय का शेष/व्यय अधिक व्यय/आय(क–ख)		3,82,87,488.02	2,73,33,552.06
परिसंपत्ति की सीमा तक पूंजीगत निधि को हस्तांतरित खरीदारी		16,88,017.00	4,71,093.00
सामान्य निधि को/से हस्तांतरित		3,65,99,471.02	2,68,62,459.06

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

वाते रावला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001661एन

वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

हस्ता/–
राजा राम गुप्ता, सीए
साझेदार
एम नं 81279

हस्ता/–
(भूपाल नंदा)
निदेशक (वि.एवं प्र.)

हस्ता/–
(डॉ. पी.के. आनंद)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 22 जुलाई 2013